वर्ष : 20 अंक : 3 (70वाँ अंक) जुलाई-सितंबर, 2015

विचार

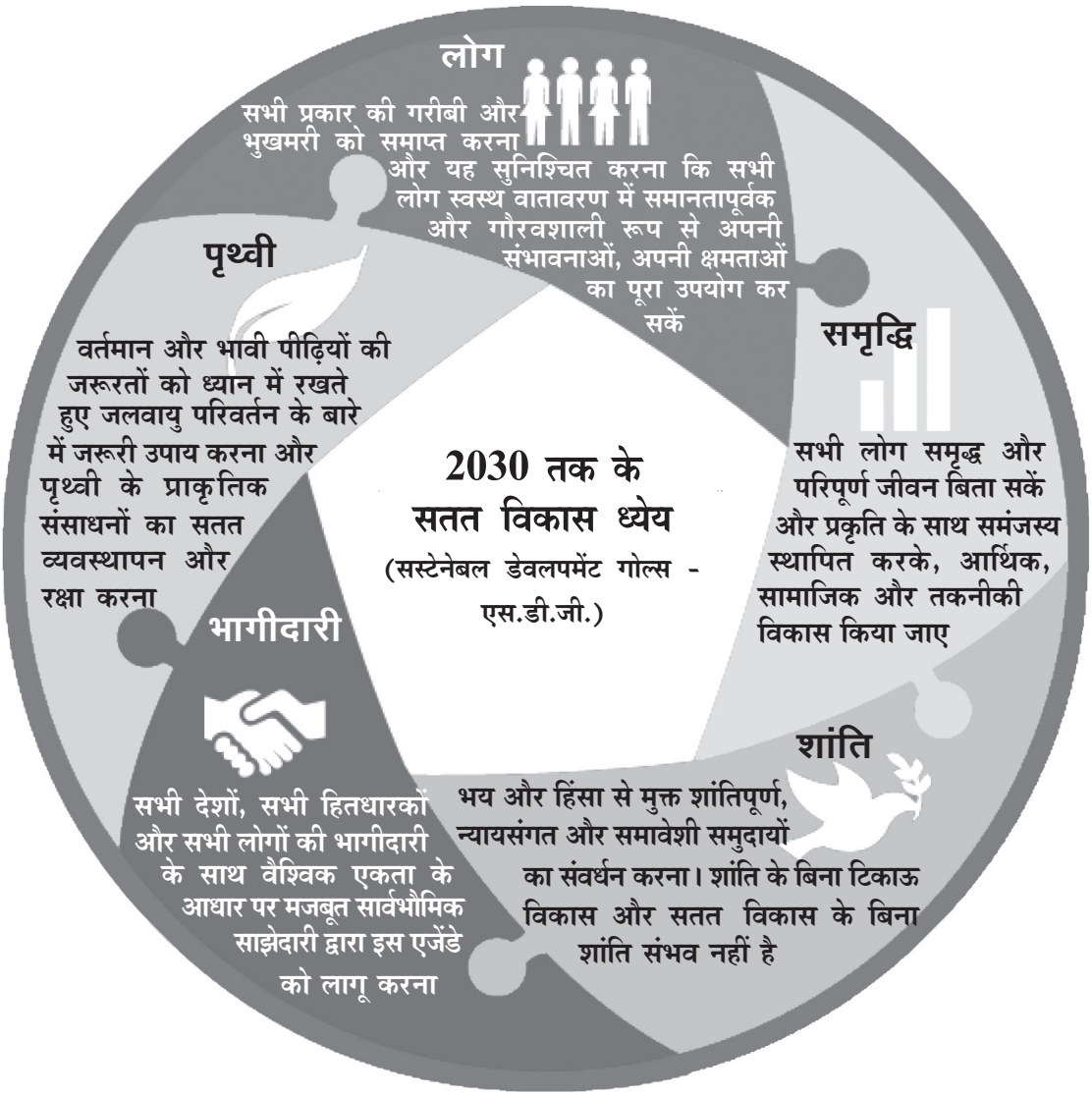

यूरोपीय संघ

उन्नति
UNNATI

अनुक्रम

संपादकीय **3**

विकास विचार

- सतत विकास ध्येय (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स - एसडीजी) **4**
- विकलांगता मॉडल और विकलांगता के प्रति नज़रिया **14**
- गुजरात राज्य सरकार के विभागों में विकलांगता को मुख्य धारा में जोड़ने के कुछ सुझाव **15**
- विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आजीविका और कौशल विकास पर राज्य स्तरीय सेमिनार **18**
- महात्मा गांधी नरेगा को प्रभावी बनाने के प्रयास **20**
- गुजरात में 'पेसा' क्रियान्वयन सार्थक बनाने की प्रक्रियाः कुछेक अवलोकन **23**
- साबरकांठा जिले के पोशिना सीएचसी में विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर **27**
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन **29**
- अखबार की क्लिपिंगः स्वच्छ भारतः किसका अभियान? - रोबर्ट चेम्बर्स - इंडियन एक्सप्रेस, अक्टूबर 9, 2015 **31**

सतत विकास के लिए पृथ्वी और हमारे जीवन का नवीनीकरण

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रही असमानताएं विकास में बाधा खड़ी करती हैं। मानव विकास के मॉडल पर आधारित इस तर्क से दुनिया भर के सभी देश सहमत हैं। दो विश्व युद्धों के विनाशकारी प्रभावों के मद्देनजर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में लिंग समानता, मानवाधिकार, सतत विकास, सामाजिक सुरक्षा, सद्भाव, समानता और शांति को बढ़ावा देने के लिए और मानवीय व सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की क्षमता है। यह अपने सदस्य देशों को विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करवाकर तय संरचना के भीतर इसी प्रकार के सवालों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रणाली विकसित करता है। इस कार्य पर निगरानी भी रखी जाती है और देशों को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 70 साल पूरे हो चुके हैं और 17 सतत विकास लक्ष्य स्थापित किए गए हैं। 2030 तक 189 देशों में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इन दशकों के दौरान विकास की परिभाषा बदल गई है। इस आर्थिक विकास के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सतत विकास - पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के साथ-साथ आर्थिक अवसर - सभी के जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। 25 सितंबर 2015 को दुनिया के नेताओं ने गरीबी को समाप्त करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 साल की वैश्विक योजना स्वीकार कर ली गई है, जिसे सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) कहा जाता है। विकास की 15 वर्षीय संरचना को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने सदस्य देशों के नेताओं द्वारा सभी नागरिकों से किया गया वादा याद दिलाया था। उनके अनुसार, ये लक्ष्य लोगों और पृथ्वी के लिए एजेंडा है और सार्वभौमिक समृद्धि, शांति और साझेदारी के एजेंडा हैं। ये पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत को दर्शाता है, लैंगिक समानता और सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता और सार्वभौमिक विकास करने की आवश्यकता प्रदर्शित करता है। बान की मून ने सभी देशों द्वारा इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लक्ष्यों का कार्यान्वयन एजेंडा 2030 के प्रति प्रतिबद्धता की असली परीक्षा है। इस एजेंडा के लिए संसद, स्थानीय सरकारों और नागरिक समाज सहित वैश्विक हित धारकों की भागीदारी आवश्यक है।

2015-2030 तक प्राप्त करने वाले 169 लक्ष्यों के साथ 17 एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) निर्धारित किये गये हैं। उपर्युक्त लक्ष्यों को विकास लक्ष्यों के रूप में निर्धारित 8 सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) 2000-2015 के स्थान पर स्थापित किया गया है। एमडीजी ने साबित किया है कि हर देश के लिए कामकाज के लक्ष्यांकों और एजेंडा स्थापित करने से सामाजिक विकास के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि, अभी भी कई लक्ष्यों को प्राप्त करना बाकी है। एमडीजी में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया था, उन कमियों को दूर करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना एसडीजी का ध्येय है। इस पर जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक विकास से वंचित नहीं रह जाए। इसलिए, यह मालूम पड़ने पर कि विकलांग व्यक्ति अत्यंत गरीब होते हैं और ऐसे लोगों की वैश्विक आबादी बढ़ती जा रही हैं। तब विकलांगता के मुद्दे को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार, यह उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह लक्ष्यों से संबंधित देश की परिस्थिति के आधार पर लागू की जाने वाली योजनाएं बनाए। एमडीजी के समय की गई तैयारियों से अलग, एसडीजी नागरिक समाज को शामिल करने सहित व्यापक विचार विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के महा सचिव सलिल शेट्टी ने बताया था कि नए लक्ष्यों का कार्यान्वयन चार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए - स्वामित्व परीक्षण, जो हर स्तर पर गरीब और वंचित लोगों के निर्धारक बनाता है, जवाबदेही (जिम्मेदारी) परीक्षण, जिसके तहत सरकारों ने क्या वादा किया है और कितने वादे पूरे हुए हैं, उनका विवरण प्रदान करना आवश्यक है, भेदभाव रहित परीक्षण - अर्थात् लिंग, नस्ल, जाति, धर्म या किसी भी अन्य स्थिति के आधार किया जाने वाला बहिष्कार सहन नहीं किया जाएगा, और सुसंगतता परीक्षण - जिसके तहत लोगों को कामकाज पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एसडीजी के पक्ष में एक भाषण दिया था और कहा था कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू हुए कल्याण कार्यक्रम 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होंगे। गरीबी और भुखमरी खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने के लिए, स्त्री-पुरुषों की समानता सुनिश्चित करने के लिए, विकास को अधिक समावेशी व टिकाऊ बनाने के लिए और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने सहित सभी लक्ष्यों को हमारी राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने के लिए आइए हम सब मिलकर काम करें। ■

सतत विकास ध्येय
(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स - एसडीजी)

सतत विकास ध्येय (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स - एसडीजी) पर यह लेख उन्नति के प्रोग्राम कोओर्डिनेटर **दीपा सोनपाल** द्वारा संकलित किया गया है।

पृष्ठभूमि

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के गंभीर विनाशक परिणामों को देखने के बाद दुनिया के तत्कालीन नेताओं ने एकत्रित होकर सत्तर साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना परामर्श और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और संवाद के मूल्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 हैं।

इस अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियां की हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संधियां इस प्रकार हैं : मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948), पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा 1992, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, 2002, सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन 1995, जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्य योजना कार्यक्रम 1994, बीजिंग कार्रवाई के लिए प्लेटफार्म 1995 और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012। विकास पर जोर देने के बावजूद दुनिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अरबों नागरिक गरीबी में जीवन जी रहे हैं और गौरवयुक्त जीवन से वंचित हैं। देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच असमानताएं बढ़ रही हैं। अवसर, धन और सत्ता की विस्तृत असमानता पाई जाती हैं। महिला-पुरुष असमानता (जेंडर) आज एक प्रमुख चुनौती है। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवा बेरोजगारी चिंता का विषय हैं। वैश्विक स्वास्थ्य की जोखिम से बारंबार आने वाली विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष, हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद, संबंधित मानवीय संकट और मजबूरन लोगों का प्रवास जैसी समस्याओं के कारण हाल के दशकों में हुए विकास से विपरीत दिशा में जाने की जोखिम पैदा हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट और रेगिस्तान के विस्तार, सूखा, भूमि क्षरण, मीठे पानी की कमी, जैव-विविधता को नुकसान, आदि सहित पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के कारण मानव समुदाय के सामने चुनौतियां बढ़ने के साथ साथ अधिक गंभीर होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसके प्रतिकूल प्रभाव सभी देशों की सतत विकास प्राप्त करने की क्षमता को कमजोर करता है। वैश्विक तापमान वृद्धि, समुद्र का स्तर बढ़ने, समुद्र के पानी में हानिकारक रसायनों की वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों, निचली सतह वाले तटीय देशों और द्वीपों को गंभीर क्षति पहुंची है। नतीजतन, कई समुदायों और पृथ्वी की जैविक सहायक व्यवस्था पर खतरा पैदा हो गया है।

इन समस्याओं के साथ कई अवसर भी उपलब्ध हैं। विकास में बाधक कई चुनौतियों का सामना करने के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। पिछले कुछ समय में करोड़ों लोग गरीबी के जंजाल से मुक्त हुए हैं। विशेष रूप से, लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। सूचना - संचार प्रौद्योगिकी और वैश्विक आपसी संपर्क के प्रसार में मानव प्रगति की वृद्धि और डिजिटल विभाजन के बीच की खाई को पाटने और ज्ञानप्रद समुदाय विकसित करने की पूरी क्षमता है।

लगभग 15 साल पहले, 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को तय किया गया था। इससे विकास की एक महत्वपूर्ण संरचना मिली और इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई। लेकिन कई देशो में विशेष रूप से कम विकसित देशों में, अफ्रीका में, चारों तरफ से जमीन से घिरे विकासशील देशों में और छोटे द्वीपों में यह प्रगति टिकाऊ नहीं रही है। इसके अलावा, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में एमडीजी सटीक नहीं रहे। कम विकसित देशों और विशेष रूप से इन

परिस्थितियों वाले अन्य देशों को सुसंगत सहायता कार्यक्रमों के साथ सुसंगत केन्द्रित और अधिक सहायता उपलब्ध करवाकर सभी एमडीजी को सुस्पष्ट करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत जिन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका (विशेष रूप से वंचित समुदायों तक पहुँचने के लिए) उन्हें पूरा करने के लिए 25-27 सितम्बर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र सभा के 69वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को तय किया गया है। ये लक्ष्य वंश, रंग, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, विकलांगता या अन्य स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों के लिए बुनियादी स्वतंत्रता व मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनमें तेजी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का पालन करने की सभी देशों की जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) में एकीकृत और अविभाज्य 169 लक्ष्य शामिल हैं। इन लक्ष्यों का क्षेत्र एमडीजी से अधिक व्यापक और विस्तृत है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा व खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी विकासात्मक प्राथमिकताओं को यथावत रखने के साथ-साथ यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण उद्देश्यों का व्यापक क्षेत्र स्थापित करता है। इसके साथ ही कार्यान्वयन के तरीके भी बताता है। एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाते नए लक्ष्यों के बीच आपस में काफी गहरा संबंध है।

एसडीजी में निर्धारित लक्ष्य मानव समुदाय और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण जिन क्षेत्रों में अगले 15 साल (2030) तक काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सतत विकास के इन लक्ष्यों में प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है:

लोग

सभी प्रकार की गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग स्वस्थ वातावरण में समानतापूर्वक और गौरवशाली रूप से अपनी संभावनाओं, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें।

पृथ्वी

वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के बारे में जरूरी उपाय करना और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करने के साथ ही टिकाऊ खपत और उत्पादन के द्वारा पृथ्वी के प्रदूषण और इसके गंभीर सकारात्मक प्रभाव के खिलाफ रक्षा करना।

समृद्धि

सभी लोग समृद्ध और परिपूर्ण जीवन बिता सकें और प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास किया जाए।

शांति

भय और हिंसा से मुक्त शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समुदायों का संवर्धन करना। शांति के बिना सतत विकास संभव नहीं है और उसी प्रकार सतत विकास के बिना शांति संभव नहीं है।

भागीदारी

अत्यंत गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके सभी देशों, सभी हितधारकों और सभी लोगों की भागीदारी के साथ वैश्विक एकता के आधार पर मजबूत सार्वभौमिक साझेदारी द्वारा इस एजेंडे को लागू करने के लिए आवश्यक उपायों को गतिशील करना।

नए एजेंडे का उद्देश्य स्पष्ट हो गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के आपसी जुड़ाव और एकीकृत रूप महत्वपूर्ण होता है। यदि एजेंडे में हम हमारी महत्वाकांक्षा के बारे से स्पष्ट हो जाएंगे तो सभी लोगों का जीवन बेहतर हो जायेगा।

एसडीजी पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सभी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। मानव समुदाय के आधे हिस्से को उनके अवसरों और मानव अधिकारों से वंचित रखने से पूर्ण मानव क्षमता और सतत विकास हासिल नहीं हो सकता है। लड़कियों और महिलाओं के लिए भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आर्थिक संसाधन और राजनीतिक भागीदारी समान आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। रोजगार, नेतृत्व और सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों

2030 तक के सतत विकास ध्येय
(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स - एस.डी.जी.)

ध्येय 1:
सार्वभौमिक आधार पर गरीबी के सभी रूपों का उन्मूलन करना।

ध्येय 2:
भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि में तेजी लाना।

ध्येय 3:
स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी लोगों की भलाई में तेजी लाना।

ध्येय 4:
समावेशी और समानतापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना और सभी लोगों के लिए आजीवन सीखने के अवसरों में तेजी लाना।

ध्येय 5:
लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।

ध्येय 6:
सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

ध्येय 7:
सभी लोगों को किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा मिलना सुनिश्चित करना।

ध्येय 8:
टिकाऊ, समावेशी आर्थिक विकास में तेजी लाना, सभी लोगों के लिए पूर्ण व उत्पादक रोजगार तथा सुयोग्य कामकाज में तेजी लाना।

ध्येय 9:
स्थिति संस्थापक बुनियादी ढांचे के निर्माण करना, और समावेशी और सतत औद्योगीकरण में तेजी लाना और अभिनव पहल का संवर्धन करना।

ध्येय 10:
देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना।

ध्येय 11:
शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, स्थिति संस्थापक और टिकाऊ बनाना।

ध्येय 12:
सतत खपत और उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

ध्येय 13:
जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना।

ध्येय 14:
सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों व समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग करना।

ध्येय 15:
जैविक तंत्र के सतत उपयोग में तेजी लाना और उसे बहाल करना तथा उनके संरक्षण करना, जंगलों का सतत प्रबंधन करना, रेगिस्तान का विस्तार रोकना, भूमि प्रदूषण रोकना और जैविक विविधता को हो रहे नुकसान को रोकना।

ध्येय 16:
सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज में तेजी लाना, सभी लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह व समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

ध्येय 17:
सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के उपायों को पुनर्जीवित करना और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना।

एस.डी.जी. के ध्येय व लक्ष्यांक

सतत विकास ध्येय (एसडीजी) में कुल 17 ध्येय तय किए गए हैं। इनमें से 5 ध्येय, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, शिक्षण, स्वास्थ्य और स्त्री-पुरुष समानता के लक्ष्यांकों को यहां प्रस्तुत किया गया हैं:

ध्येय 1. सार्वभौमिक आधार पर सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन करना।

1.1 वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी का सार्वभौमिक उन्मूलन, जिसका वर्तमान आय आधार प्रति दिन 1.25 डॉलर से कम है।

1.2 वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार सभी आयामों के तहत गरीबी में जीवन गुजारने वाले सभी आयु के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की गरीबी को कम करके आधा करना।

1.3 सब के लिए उचित राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली और मापदंडों का अमल करना और 2030 तक गरीब तथा वंचित वर्गों को स्थायी रूप से शामिल करना।

1.4 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरुषों और महिलाओं, विशेष रूप से गरीब व वंचित समूहों को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार दिलाना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, जमीन पर तथा अन्य संपत्तियों, विरासत आदि पर नियंत्रण और स्वामित्व मिले, नई प्रौद्योगिकियों और वित्तीय सेवाओं का लाभ प्राप्त हो।

1.5 वर्ष 2030 तक गरीब और वंचित समुदायों का सशक्तिकरण करना और प्राकृतिक आपदाओं, अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समय उनसे होने वाली कठिनाइयों को कम करना।

1 क. सभी प्रकार की गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अल्प विकसित देशों को पर्याप्त और प्रभावी उपचार प्रदान करने सहित विभिन्न स्रोतों से संसाधनों की उल्लेखनीय लामबंदी सुनिश्चित करना।

1 ख. गरीबी उन्मूलन अभियान में अधिक से अधिक निवेश का समर्थन करने के लिए गरीब समर्थक और स्त्री-पुरुष समानता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील रणनीति के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित नीतिगत ढांचा तैयार करना।

ध्येय 2. भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि में तेजी लाना।

2.1 वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना, विशेष रूप से गरीब व वंचित लोगों को साल भर पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिलना सुनिश्चित करना।

2.2 वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को दूर करना, किशोरियों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और बुजुर्ग व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना।

2.3 वर्ष 2030 तक भूमि की सुरक्षित और समान प्राप्यता, अन्य उत्पादक संसाधनों और ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजार, मूल्य वर्धन के अवसरों और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के लिए विशेष रूप से महिलाओं और मूल निवासियों जैसे छोटे पैमाने पर कार्यरत खाद्य उत्पादकों की आय और खेती की उत्पादकता दुगुनी करना।

2.4 वर्ष 2030 तक स्थायी खाद्य उत्पादन व्यवस्था सुनिश्चित करना। खेती की उन गतिविधियों को लागू करना, जो उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करें, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए मजबूत क्षमता प्रदान करें और जमीन व मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि हो।

2.5 वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुविध तथा सुयोग्य रूप से संचालित बीज और पादप बैंक के अलावा, बीज, संवर्धित पौधे, पशुधन और वन्यजीव प्रजातियों, उनके आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना। जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े परंपरागत ज्ञान के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति के अनुसार उचित वितरण सुनिश्चित करना।

2 क. विकासशील देशों, विशेष रूप से पिछड़े देशों में कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास, वनस्पति और पशुधन के लिए जीन बैंक के क्षेत्र में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निवेश को बढ़ाना।

2 ख. दुनिया के कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों और विसंगतियों को दूर करना और उनमें सुधार करना। इसके लिए 2011 में दोहा विकास दौर के अधिकृत जनादेश के अनुरूप सभी प्रकार की कृषि आयात सब्सिडी को समान प्रभाव से समानांतर रूप से दूर करने के लिए कदम उठाना।

2 ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि खाद्य पदार्थों और भोजन की बिक्री पद्धति का काम सुचारू रूप से चलता रहे और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाली भारी अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए समय पर बाजार की जानकारी मिलती रहे।

ध्येय 3. सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उनकी भलाई में तेजी लाना।

3.1 वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर कम करके प्रति 1,00,000 शिशु जन्म पर 70 से कम करना।

3.2 वर्ष 2030 तक नवजात शिशुओं और पांच साल से कम के बच्चों की अप्राकृतिक कारणों की वजह से होने वाली मौतों के अनुपात को कम करना।

3.3 वर्ष 2030 तक एड्स, क्षय रोग (टीबी), मलेरिया और उपेक्षित बीमारियों की महामारी को दूर करना और हेपेटाइटिस (पीलिया), पानी से होने वाली बीमारियों और अन्य संक्रामक रोगों का सामना करना।

3.4 वर्ष 2030 तक गैर-संक्रामक रोगों के कारण समय से पहले जन्मे शिशुओं की मौतों का अनुपात उपचार के द्वारा घटाकर एक-तिहाई करना और मानसिक स्वास्थ्य में तेजी लाना।

3.5 नशीले पदार्थों और एल्कोहल (शराब) के नुकसानकारी सेवन सहित पदार्थों के सेवन की रोकथाम करना और उससे संबंधित उपचार की एक सुदृढ़ प्रणाली तैयार करना।

3.6 वर्ष 2030 तक दुनिया भर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को कम करके आधी करना।

3.7 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि परिवार नियोजन के लिए, सूचना व शिक्षा के लिए लैंगिक और प्रजननक्षम स्वास्थ्य सेवाएं सार्वभौमिक आधार पर मिलती रहें। प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल करना।

3.8 वित्तीय जोखिम के खिलाफ संरक्षण, सब लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति हो और सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता और सस्ती आवश्यक दवाएं और वैक्सीन (टीका) मिलें तथा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं (यूएचसी) प्राप्त करना।

3.9 वर्ष 2030 तक खतरनाक रसायनों और हवा, पानी व मिट्टी प्रदूषण तथा प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों और उससे होने वाली मौतों को उल्लेखनीय रूप से कम करना।

3 क. सभी देशों में जैसा उपयुक्त लगे, उस प्रकार से तंबाकू नियंत्रण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना।

3 ख. मुख्य रूप से, विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के लिए टीकों और दवाओं के लिए अनुसंधान व विकास में सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समुत्थान के बारे टीआरआईपीएस (बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार से संबंधित पहलुओं) के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए विकासशील देशों के अधिकारों को मजबूत करने वाली दोहा घोषणा के अनुसार जीवन रक्षक दवाओं और टीकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना या सभी लोगों के लिए दवाओं को उपलब्ध कराना।

3 ग. विकासशील देशों में, विशेष रूप से कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीपों वाले कम विकसित देशों में (एसआईडीएस) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यकर्मियों की भर्ती, विकास और प्रशिक्षण में वृद्धि करना।

3 घ. सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों में अग्रिम चेतावनी और जोखिम कम करने की क्षमता को अधिक मजबूत बनाना और राष्ट्रीय व वैश्विक स्वास्थ्य के खिलाफ जोखिमों का प्रबंधन करना।

ध्येय 4. सभी लोगों के लिए समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना

4.1 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों को निशुल्क न्यायसंगत व गुणवत्ता युक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो।

4.2 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कों और लड़कियों को बचपन के प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्ता युक्त देखभाल और पूर्व-प्राथमिक (पूर्व प्राथमिक) शिक्षा मिले, ताकि वे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं।

4.3 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और पुरुषों को वहन करने योग्य तथा गुणवत्ता युक्त तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा मिले।

4.4 वर्ष 2030 तक रोजगारी, सुयोग्य नौकरियों और उद्यमशीलता के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि करना।

4.5 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंग (लड़कों और लड़कियों) असमानताओं को दूर करना और विकलांग व्यक्तियों स्थानीय निवासियों और वंचित स्थिति में जीवन गुजारने वाले बच्चों सहित वंचित समूहों को सभी प्रकार की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण समानता के आधार पर मिले।

4.6 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं और प्रतिशत में पुरुष-महिलाएं साक्षर हों।

4.7 वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी लोग स्थायी विकास को तेज करने के लिए सतत विकास और सतत जीवन शैली, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसक संस्कृति को गति प्रदान करके, वैश्विक नागरिकता, सांस्कृतिक भिन्नता तथा टिकाऊ विकास में संस्कृतियों के योगदान का आदर करके आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें।

4 क. ऐसी शैक्षणिक सुविधा बनाना जो बच्चों, विकलांगता और लैंगिक समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो और सभी लोगों के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शैक्षिक वातावरण प्रदान करे।

4 ख. वर्ष 2030 तक, विकासशील देशों में, विशेष रूप से कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीपों वाले कम विकसित देशों (एसआईडीएस) और अफ्रीकी देशों के लिए विकसित देशों में और अन्य विकासशील देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), तकनीकी, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र सहित उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वैश्विक स्तर पर प्रतिशत में वृद्धि करना।

4 ग. वर्ष 2030 तक विकासशील देशों में विशेष रूप से एलडीसी और एसआईडीएस में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सहित कदम उठाकर योग्य शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत बढ़ाना।

ध्येय 5. लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों का सशक्तिकरण करना

5.1 महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना

5.2 देह व्यापार और अन्य प्रकार के शोषण सहित महिलाओं और लड़कियों के साथ की जाने वाली सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।

5.3 बाल विवाह, जबरन शादी और स्त्री के जननांग छेदन जैसी सभी खतरनाक प्रथाओं को समाप्त करना।

5.4 घरेलू कार्यों (जिनका मूल्य भुगतान नहीं किया जाता है) तथा सार्वजनिक सेवाओं की देखभाल और बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधानों पर ध्यान देना तथा उनका मूल्यांकन करना। राष्ट्र की अनुकूल व्यवस्था में घर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के विभाजन में तेजी लाना।

5.5 यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में निर्णय लेने के हर स्तर पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी हो और उन्हें पर्याप्त अवसर मिले।

5.6 यह सुनिश्चित करना कि बीजिंग कार्रवाई मंच, 1995 और जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी) 1994 की कार्रवाई और उसकी समीक्षा परिषद के परिणामी दस्तावेजों के अनुसार यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और संबंधित अधिकार सार्वभौमिक आधार पर प्राप्त हों।

5 क. महिलाओं को आर्थिक संसाधनों में समान अधिकार देने के लिए, भूमि और अन्य संपत्तियों पर उनका नियंत्रण व स्वामित्व दिलाने के लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार वित्तीय सेवाएं, विरासत व प्राकृतिक संसाधन उन्हें मिलें इसके लिए सुधार किए जाएं।

5 ख. महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी लाने में मदद करने वाली तकनीकों, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग में वृद्धि करना।

5 ग. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उचित नीतियों को अपनाना और नीतियों को मजबूत करना।

2030 तक के सतत विकास ध्येय
(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स - एस.डी.जी.)

विकलांगता के मुद्दे का नीचे दिये गये ध्येयों में समावेश

4

शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना और विकलांग व्यक्तियों, आदिवासियों व वंचित स्थिति में जीवन गुजार रहे बच्चों सहित वंचित समूहों को सभी प्रकार की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण समान रूप से मिले यह सुनिश्चित करना।

लक्ष्यांक 4.5

8

युवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन के साथ पूर्ण और उत्पादक रोजगार प्राप्त करना।

लक्ष्यांक 8.5

10

उम्र, नस्ल, लिंग, विकलांगता, वंश, मूल, धर्म, आर्थिक या अन्य भेदभावों को दूर करके सभी लोगों का सशक्तिकरण करना और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समग्रता को प्रोत्साहन देना।

लक्ष्यांक 10.2

11

सभी लोगों को सुरक्षित, सस्ता और टिकाऊ परिवहन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक परिवहन का बड़े पैमाने पर विस्तार करके मार्ग सुरक्षा बढ़ाना और इस दौरान महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों व बुजुर्ग लोगों सहित से वंचित लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।

लक्ष्यांक 11.2

17

आय, लिंग, उम्र, जाति, स्थलतांरण विवरण, विकलांगता, भौगोलिक स्थान और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रासंगिक अन्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय आंकड़ों (डेटा) की समय पर उपलब्धता।

लक्ष्यांक 17.18

सभी ध्येय
विश्व व्यापी

व लड़कों जितने ही पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए हम हमारे निवेश में काफी वृद्धि करेंगे। पुरुषों और लड़कों को शामिल करके महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा और भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। एजेंडा के कार्यान्वयन में लैंगिक समानता के नजरिए को व्यवस्थित रूप से मुख्यधारा में शामिल करना जरूरी है।

नए लक्ष्य और उद्देश्य जनवरी, 2016 से प्रभावी हो जाएंगे और हम अगले 15 वर्षों में जो निर्णय लेंगे, उनके लिए मार्गदर्शन देंगे। हम सब हमारे देशों में और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय वास्तविकताओं, क्षमताओं और विकास के स्तरों को ध्यान में रखकर उस देश की नीतियों और प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए एजेंडा के कार्यान्वयन के संबंध में काम करेंगे। संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रतिबद्धताओं के साथ संगत रहते हुए हमें विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति का सम्मान करेंगे। इसके अलावा, हम सतत विकास में आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय आयामों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के महत्व को भी स्वीकार करेंगे। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संरचनाएं सतत विकास नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कामकाज में प्रभावी ढंग से परिवर्तित करने के लिए सहायक हो सकता है।

नए लक्ष्य यह तथ्य स्पष्ट करते है कि प्रत्येक देश सतत विकास के क्षेत्र में विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे अधिक वंचितता का सामना कर रहे देशों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों, कम विकसित देशों, चारों तरफ से जमीन से गिरे विकासशील देशों, विकासशील (छोटे आकार) द्वीप-देशों, संघर्ष की स्थिति सामना कर रहे और कर चुके देशों पर। इसके अलावा, मध्यम आय वाले देश भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

यह एजेंडा इस आधार पर तैयार किया गया है कि वंचित लोगों को सशक्त करना चाहिए। इस एजेंडा में बच्चों, युवाओं, विकलांग व्यक्तियों (जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी में जीते हैं), एचआईवी या एड्स पीड़ितों, बुजुर्ग व्यक्तियों, मूल निवासियों, आश्रितों, और आंतरिक रूप से विस्थापित और स्थलांतरित जरूरतों को प्रतिबिंबित किया गया है। हम आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों और जटिल मानव संकट के शिकार वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं पूरा करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए और उन्हें मजबूत सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अधिक प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

व्यापक रूप से एसडीजी 2030 तक अत्यधिक गरीबी उन्मूलन सहित, शर्तों और गरीबी के सभी रूपों का अंत करने के लिए कटिबद्ध हैं। सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सहित बुनियादी मानदंडों के साथ जीवन मिलना चाहिए। इसके अलावा, हम भुखमरी को खत्म करने के लिए और प्राथमिकता के आधार पर खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए और कुपोषण के सभी रूपों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में हम विश्व खाद्य सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका और समावेशी स्वरूप की पुष्टि करते हैं और पोषण और ढांचे पर रोम घोषणा का स्वागत करते हैं। विकासशील देशों में, विशेष रूप से कम विकसित देशों में छोटे किसानों, विशेष रूप से महिला किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की सहायता करके विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की सहायता प्रदान करेंगे।

सहस्राब्दि विकास ध्येय 2000-2015 - भारत की प्रगति

- अर्चना मिश्रा द्वारा संकलित (स्रोतः तहलका, 25 जुलाई 2015, खंड 12, अंक 30)

सहस्राब्दि विकास ध्येय (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) वे आठ अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2000 में अपनाया गया था। हर साल जारी की होने वाली रिपोर्ट को इस क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक वैश्विक मूल्यांकन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से इस रिपोर्ट को संकलित करता है। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2015 के अनुसार, भारत और चीन ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार छह क्षेत्रों में भारत द्वारा

हासिल प्रगति का संक्षिप्त विवरण यहाँ उल्लेखनीय है:

महत्वपूर्ण

- भारत में भुखमरी की स्थिति और कुपोषण की मात्रा को कम करने का लक्ष्य 2015 के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।
- पाँच वर्ष की उम्र के कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 1990 और 2015 के दौरान गिर कर आधा हो गया है। भारत में अभी भी 40 प्रतिशत से अधिक बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन कम है।
- भारत ने एचआईवी, एड्स और टीबी जैसे रोगों की मात्रा को कम करने में सफलता प्राप्त की है।
- 2015 तक सार्वत्रिक प्रौढ़ साक्षरता व प्राथमिक स्कूल में नामांकन और क्षेत्र में कार्य पूरा करने की भारत की प्रगति धीमी रही है।
- शिशु और माता मृत्यु दर में कमी, माता के स्वास्थ्य में सुधार और स्वच्छता सुविधाओं की प्राप्ति में सुधार के इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति धीमी रही है।
- माता मृत्यु दर को रोकने के लिए समय से पहले जन्म (प्रिटर्म बर्थ) की आपात स्थिति को दूर करने, प्रसव तथा प्रसूति के दौरान आने वाली समस्याओं और क्षय को दूर करने के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में अभी भी कमी है।

लक्ष्य 1: अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए

गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को 1.25 डॉलर या 75 रुपये (प्रतिशत) को इस तरह से स्पष्ट किया गया है।	
1994	49.4
2011	24.7
आवश्यकता से कम वजन वाले बच्चे (पांच साल से कम आयु वर्ग वाले बच्चों का प्रतिशत)	
1992	52.8
2006	43.5

लक्ष्य 2: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना

प्राथमिक स्कूल में नामांकन दर (प्रतिशत)	
2000	81.2
2011	93.3
प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की दर (प्रतिशत)	
1999	70.0
2011	96.5

लक्ष्य 3: शिशु मृत्यु दर कम करना

पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर (प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे शिशु के अनुसार)	
1990	125.6
2012	56.3
शिशु मृत्यु दर (प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे शिशु के अनुसार)	
1990	88.2
2012	43.8

लक्ष्य 4: मातृ स्वास्थ्य में सुधार

मातृ मृत्यु दर (प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मे शिशु के अनुसार))	
1990	560
2013	190
कुशल दाई की उपस्थिति में जन्मे शिशु (प्रतिशत)	
1993 34.3	
2008 52.3	

लक्ष्य 5: एचआईवी, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों पर रोक

एचआईवी प्रचलन (15-49 वर्ष के लोगों में प्रतिशत)	
1990	0.1
2013	0.3
टीबी मामलों की दर (प्रति 1,00,000)	
1990	216
2012	176
टीबी प्रचलन दर (प्रति 1,00,000)	
1990	465
2012	230

लक्ष्य 6: सतत पर्यावरण सुनिश्चित करना

वन क्षेत्र का विस्तार (प्रतिशत)	
1990	21.5
2010	23.0
संरक्षित क्षेत्र (क्षेत्रीय क्षेत्र का प्रतिशत)	
1990	4.5
2012	5.0
सुरक्षित पेयजल (जनसंख्या का प्रतिशत)	
1990	70
2012	93
बुनियादी स्वच्छता (जनसंख्या का प्रतिशत)	
1990	18
2010	36

■

विकलांगता मॉडल और विकलांगता के प्रति नज़रिया

काफी लंबे समय से विकलांगता को विशेष क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए विकास की मुख्य धारा में चर्चा से उसे बाहर रखा जाता है। 1947 में आजादी के बाद, विकलांगता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिकित्सा/दाता मॉडल विकसित किया गया था। आज तक, भारतीय समाज पर इस मॉडल की छाप है। इसमें सेवा प्रदान करने और पुनर्वास पर जोर दिया जाता है, 'बीमारी की स्थिति' या 'समस्या' का हल करने के लिए उपचार, इलाज और पुनर्वास के रूप में, चिकित्सा हस्तक्षेप (इलाज) को महत्वपूर्ण माना गया है। विकलांग व्यक्तियों को 'असामान्य' के रूप में, 'बीमार' के रूप में देखा जाता है, विशेष चिकित्सा सहायता और देखभाल की जरूरत वाली 'वस्तु' के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें सामान्य 'जीवन' में लौटने के लिए डॉक्टरों की मदद से उन्हें आम जीवन से दूर विशेष संस्थानों या 'शरणगाहों' में रखा जाता है। सामाजिक मॉडल के बारे में वर्तमान स्पष्टता विकलांगता को सामाजिक संरचना और मानव अधिकारों का मुद्दा मानता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों का परस्पर प्रभाव है, जो विकलांगता के लिए हानिकारक है। इसलिए, विकलांगता रोगविज्ञान या स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह 'भेदभाव' और 'उपेक्षा या अलगाव' से संबंधित मामला भी बन गया है। यह मॉडल पुनर्वास के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता को नहीं नकारता है - विकलांगता को कम करने के प्रयासों, देखभाल, उपचार, सहायता और साधन, बुनियादी सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, रोजगार, परिवहन) की उपलब्धता के साथ ही अवरोध रहित वातावरण को नहीं नकारता, बल्कि इन सभी बातों को सभी मनुष्यों का मौलिक अधिकार मानता है।

वर्तमान में, विकलांगता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय क्षति और विकलांगता वर्गीकरण, और अंतर्राष्ट्रीय कामकाज की सीमा, विकलांगता और स्वास्थ्य वर्गीकरण आईसीआईडीएच-1 और आईसीआईडीएच-2 का सहारा लिया गया है। इस परिभाषा में चिकित्सा और सामाजिक मॉडल को एकीकृत करने का इरादा है और इसीलिए कई बार इसे विकलांगता का जैव मनो-सामाजिक मॉडल कहा जाता है (विश्व बैंक, 2007)। यह मॉडल स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति के साथ शुरू होता है, जिसमें विकलांगता में वृद्धि होती है और उसके कारण गतिविधि करने की क्षमता सीमित हो जाती है। नतीजतन, भाग लेने की क्षमता प्रतिकूल प्रभावित होती है। आमतौर पर विकलांगता पर अनुसंधान में जो इस्तेमाल किया जाता है उसके अनुसार विकलांगता को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: (1) दृष्टि दोष, सुनने का दोष, बोलने का दोष, मानसिक क्षतिग्रस्तता, ध्यान केन्द्रित करने का दोष (2) काम करने की सीमा, यानि दोष पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए शरीर की गतिविधि करने में दिक्कत होती है, जैसे देखने में, चलने में, बोलने में, उठाने में दिक्कत का सामना करना और (3) गतिविधियों की सीमा अर्थात् स्नान करने, तैयार होने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में दिक्कत होना तथा काम करने के लिए बाहर जाना, स्कूल जाना, खेलना, खरीदारी करना आदि गतिविधियां करने में परेशानी होना। पहले दो प्रकार - कमी और काम करने की सीमा - चिकित्सा मॉडल के अनुरूप हैं और गतिविधियों की सीमा सामाजिक मॉडल से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य वर्गीकरण (आइसीएफ) अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता रिपोर्ट 2011 द्वारा अपनायी संरचना व्यक्तिगत और पर्यावरण (जैव मनो-सामाजिक मॉडल) सहित संदर्भित पहलुओं और स्वास्थ्य की स्थिति के बीच आपसी क्रिया के महत्व पर जोर देने के साथ चिकित्सा और सामाजिक मॉडल को एकीकृत करता है। विकलांगता कमियों, गतिविधि की सीमाओं और भागीदारी की सीमा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है, जो व्यक्ति और उस व्यक्ति के प्रासंगिक कारकों (पर्यावरण और व्यक्तिगत) की क्रिया-प्रतिक्रिया के नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। विकलांगता की परिभाषा में और विकलांगता के प्रति नजरिए में परिवर्तन की वजह से भी विकास हस्तक्षेपों में तब्दीली आई है। नतीजतन, पहले जो जोर चिकित्सा और कल्याण गतिविधियों पर दिया जाता था, अब इसके बजाय समावेशी विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विकलांगता व्यक्तियों को मुख्य धारा में शामिल करने की कार्यवाही को मुख्य केन्द्र में रखा गया है। ■

गुजरात राज्य सरकार के विभागों में विकलांगता को मुख्य धारा में जोड़ने के कुछ सुझाव

उन्नति की प्रोग्राम को-ओर्डिनेटर, **दीपा सोनपाल** द्वारा इस लेख में महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किये गये हैं। ये सुझाव 2011 में गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिए गए थे। गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों का समावेश और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उन्हें मुख्यधारा में कैसे लाया जा सकता है, इस बारे में भी विचारों और सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा 2011 में विकलांगता पर प्रकाशित एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में विकलांगता बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार दुनिया के 100 करोड़ लोग यानि 15 प्रतिशत लोग विकलांगता से पीड़ित हैं। सबूतों से यह भी पता चला है कि गैर-विकलांग व्यक्तियों की तुलना में विकलांग व्यक्ति अधिक वंचित और गरीब होते हैं। गरीबी के कारण विकलांगता में और विकलांगता के कारण गरीबी में वृद्धि होती है, अतः विकलांगता का मुद्दा सामाजिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना होना चाहिए।

भारत में पहले चार कानून थे, विकलांगता अधिनियम-1995 पूरी तरह से नई भूमिका से तैयार किया गया था। इसमें कई प्रकार की विकलांगता को स्वीकार किया गया और इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण के सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को शामिल किया गया है। सामाजिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह कानून सशक्तिकरण के दर्शन पर आधारित है, इसके बावजूद अभी तक यह शारीरिक और बोधात्मक कमियों की निदानात्मक परिभाषा पर निर्भर करता है। यह कानून भेदभाव के विरोध, विपक्ष और मानव अधिकारों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आंदोलन की चर्चा ऐसे सामाजिक मॉडल पर आगे बढ़ी है, जिसमें विकलांगता बढ़ाने में सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरण और ढांचागत कारकों की भूमिका स्वीकार कर ली गई है। हालांकि, नीति विषयक वातावरण बड़े पैमाने पर चिकित्सा हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने वाला है और उसमें 'रोग' या 'समस्या' के निवारण के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत में विकलांग पुरुष, महिला और बच्चे हर रोज गरीबी, उपेक्षा और असमानता महसूस करते हैं। इस कानून में लागू करने वाले ढांचे की स्पष्टता के अभाव और उसका क्रियान्वयन नहीं होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान की कमी है।

भारत ने 1.10.2007 को संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में संकल्प (यूएनसीआरपीडी) को स्वीकार किया है, जो एक मनभावन सूचना है। इसमें विकलांगता के बारे में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। इसमें विकलांग व्यक्तियों को दान, चिकित्सा उपचार और सामाजिक सुरक्षा की चीज नहीं समझने की बात की मांग की गई है। विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों वाले लोगों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह बात इसमें स्वीकार की गई है कि वे अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं और समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकते हैं। भारत इस संकल्प को मान्यता प्रदान करने वाले शुरूआती देशों में शामिल है। लेकिन इसके प्रावधानों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत में बहुत कम काम किया गया है।

सरकार की सभी सार्वजनिक योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए और विकलांगता आधारित विभाजित आंकड़े एकत्र करके खुलासा करना चाहिए। जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक आमदनी

और दूसरा खर्च। जैसे, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करना और बनाए रखना बहुत मुश्किल है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह जरूरी नहीं है। गैर विकलांग व्यक्ति की तुलना में विकलांग व्यक्तियों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खुद की और परिवार की देखभाल तथा स्वतंत्र रूप से सम्मानपूर्वक जीने के लिए खर्च हो जाता है। इसलिए, सभी सरकारी योजनाओं में को विकलांग व्यक्तियों 20 से 30 प्रतिशत अधिक लाभ मिलना चाहिए।

सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सुझावः

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- विकलांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाना और सभी विकलांग व्यक्तियों को एक कार्ड पर सभी सेवाओं के लाभ के लिए प्रावधान।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों की योजनाओं और कार्यक्रमों में कम से कम तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना।
- विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त की नियुक्ति करना, जो या तो विकलांग हो या विकलांगता को अधिकार की दृष्टि से देखने की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हो।
- सभी मामलों का प्रभावी हल करने के लिए जिला या तहसील स्तर पर एक वर्ष में दो बार जन सुनवाई का आयोजन करना।
- अवरोधमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से जो निर्माण किया जाना हो और जिनमें सुधार किया जाना हो उन सभी सार्वजनिक भवनों तक सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की पहुंच के लिए ऑडिट करना चाहिए। इन इमारतों में सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, कलेक्ट्रेट, सरकारी अस्पताल, बड़े निजी अस्पताल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, व्यावसायिक कॉलेज सहित सभी कॉलेज, सस्ते खाद्य भंडार, सर्व शिक्षा अभियान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सहित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलें, सामाजिक कार्य, वास्तुकला (आर्किटेक्चर) शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) और गुजरात के शहरी विकास सभी नगर निगम के कार्यालय और भवन, सार्वजनिक पार्क, मॉल, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, टाउन हॉल, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों और फैक्टरी परिसर आदि शामिल हैं। पहुंच की ऑडिट के बाद प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में सुधार करने के लिए योजना बनाएं। विकलांग व्यक्तियों को सक्षम करने वाले विभाग को भारत में पहुंच के अभियान के साथ जोड़ना चाहिए।

2. स्वास्थ्य विभाग

- विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र पाने के लिए परिवहन की सहायता प्रदान करना।
- विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
- विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि देना।
- स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को विकलांगता और विकास पर प्रशिक्षण।
- विशेष रूप से विकलांग बच्चों, गर्भवती महिलाओं के घरों में जाकर मिलना और टीकाकरण की व्यवस्था करना।

3. शिक्षा विभाग

- सर्व शिक्षा अभियान सहित सरकारी सहायता से चलने वाली सभी स्कूलों में विकलांग लड़कियों सहित तीन प्रतिशत विकलांग बच्चों को भर्ती करना अनिवार्य करना चाहिए।
- विकलांग बच्चों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए उसकी सामग्री के लिए बी.एड. कॉलेजों को पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए।
- विकलांगता के बारे में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर आदि कॉलेजों में विकलांगता के बारे में पाठ्यक्रम शामिल करना चाहिए।

4. महिला एवं बाल विकास विभाग

- महिलाओं की सभी योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत विकलांग महिलाओं और लड़कियों को लाभ दिलाने को लागू

करवाना।

- विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए योजनाओं में लाभ 20-30 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।
- आईसीडीएस जैसे कार्यक्रमों में सभी विकलांग गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के घर जाकर उनसे मिलकर उनकी निश्चित पहचान करना जरूरी है।
- सभी विकलांग लड़कियों के घर जाकर उनकी पहचान करनी चाहिए और आंगनवाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए ।

5. शहरी विभाग

- निजी कंपनी के स्वामित्व वाले स्थानों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को अवरोध मुक्त बनाने के लिए भवनों से संबंधित उप-नियमों में संशोधन करना।
- सभी हेरिटेज बिल्डिंग (ऐतिहासिक इमारतों और पर्यटन इमारतों) और जीटीडीसी होटलों को अवरोध मुक्त बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य और शहरी परिवहन की सुविधाओं में ऐसी बसें रखना, जिनका विकलांग व्यक्ति इस्तेमाल कर सकें और विकलांग व्यक्तियों के लिए बसों में सीटें आरक्षित रखना।
- परिवहन विभाग के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

6. ग्रामीण विभाग

- तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को एमजीनरेगा और मिशन मंगलम जैसी योजनाओं के साथ जोड़ना।
- राजीव गांधी भवन जैसी महात्मा गांधी नरेगा के तहत बुनियादी ढांचे अवरोध मुक्त बनाना।
- इंदिरा आवास योजना, सरदार पटेल आवास योजना जैसी आवास योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों अवरोध मुक्त मकानों का निर्माण करना।
- विकलांग व्यक्तियों की तीन प्रतिशत आबादी को शामिल करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति इकाई (सुविधाजनक) शौचालय और परिवार में शौचालय उपलब्ध कराना।
- विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को अपने आप बीपीएल सूची में शामिल करना और खाद्य अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत प्राथमिकता क्रम में शामिल किया जाए।
- निर्वाचन बूथ को अवरोध मुक्त बनाना।
- चुनाव अभियान सामग्री और उम्मीदवारों के विवरण ब्रेल लिपि, बड़े प्रिंट आदि में और यदि संभव हो तो पढ़ने के लिए आसान चित्रात्मक रूप में उपलब्ध कराया जाए।
- ग्राम सभा में विकलांग व्यक्तियों को दिए गए लाभों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

7. कृषि विभाग

- बागवानी मिशन एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) को तीन प्रतिशत विकलांग किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखना।
- किसान कॉल सेंटर जैसे सेवा केंद्रों में तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।

8. श्रम और रोजगार विभाग

- राज्य में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों की भर्ती करना।
- सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं द्वारा तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश देने और उन्हें भर्ती कराने का लक्ष्य रखना।

9. जल आपूर्ति विभाग

- तालाबों, कुओं और हैंड पंप जैसे विविध जल स्रोतों को अवरोध मुक्त और प्राप्य बनाना।
- घरेलू नल और स्टैंड पोस्ट को आसानी से सुलभ बनाने के लिए अवरोध मुक्त और प्राप्य बनाना।
- जल प्रबंधन समितियों में तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ■

विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आजीविका और कौशल विकास पर राज्य स्तरीय सेमिनार

सीबीएम एसएआरओ की सहायता से अंध जन मंडल (बीपीए) ने 15 सितंबर, 2015 को विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आजीविका और कौशल विकास पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार में विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस के आयोजन का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का कौशल विकास, आजीविका और पहुंच के लिए केन्द्र सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की अभिनव पहल के बारे में जानकारी का प्रसार करना था।

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री मुकेश जैन ने मुख्य मुद्दों की प्रस्तुति के साथ सेमिनार की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं, इनमें से 99 लाख लोग साक्षर हैं , जो बेरोजगार हैं या उनके पास कुछ खास लाभकारी रोजगार नहीं हैं। इस उभरती समझ के बारे में भी उन्होंने बात की कि विकलांगता, शारीरिक क्षति/खामी की वजह से नहीं बल्कि समाज के दृष्टिकोण से पैदा होती है। समाज का यह दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के लिए बाधा बन जाता है। समाज में प्रचलित इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित समारोह के बारे में भी बात की थी, जिसमें 15 गैर सरकारी संगठनों और 7500

विकलांग प्रतिभागियों ने क्रिकेट, व्हील चेयर बास्केटबॉल, ब्लाइंड एरोबिक्स, नृत्य और संगीत सहित विभिन्न खेलों तथा गतिविधियों में भाग लिया। यह समारोह सक्षम व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में परिचित कराने और "पर्याप्त अवसर मिलें तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में भाग लेकर अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है" इस सच्चाई को समझाने के लिए अत्यंत उपयोगी था।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विभाग की प्रस्तावित पहल और योजनाएं:

1. सुलभ भारतीय अभियान (एक्सेसेबल इंडियन कैम्पेन):

- **अवरोध मुक्त वातावरण बनाना**

  48 शहरों के 100 भवनों को अवरोध मुक्त बनाने के लिए चुना गया है।

- **परिवहन व्यवस्था**
  - 25 प्रतिशत स्थानीय हवाई अड्डों का विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त बनाना
  - 75 प्रतिशत रेल सुविधाएं पूरी तरह अवरोध मुक्त होगी
  - 2017 तक 20 प्रतिशत बस सेवाएं पूरी तरह से अवरोध मुक्त बनाना
- **सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच**

  6,000 वेबसाइटों की सूची तैयार की गई है। इन वेबसाइटों की ऑडिट की जाएगी और दो साल में 50 प्रतिशत वेबसाइटों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक बनाने सम्बन्धी सुधार किये जायेंगे। इसके अलावा, एक ऐसा मोबाइल ऐप शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उपयोग करके लोग असुविधाजनक भवनों की तस्वीरें और विवरण अपलोड कर सकें। प्राथमिक स्तर पर जिन इमारतों को अवरोध मुक्त भवन बनाना जरूरी होगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह ऐप उपयोगी होगा। यह उल्लेख किया गया कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पाठ को वक्तव्य (टैक्स्ट टू

स्पीच) में परिवर्तित करना आवश्यक है। जब बातचीत या व्याख्यान चालू नहीं हो तब दृष्टिहीन व्यक्ति यह जान सकें कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है, उसके लिए फिल्मों आदि में चित्रों के वर्णन का भी उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और बैठकों में सांकेतिक भाषा वाले दुभाषियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।

2. विकलांगता व्यक्तियों के लिए आजीविकाः

25 लाख विकलांग युवा लोगों को कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जुड़े रोजगार को लागू करने के लिए पहले चरण में 100 संस्थाओं का चयन किया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय ने 100 करोड़ रु. की आपूर्ति करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है और इस परियोजना को वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। कौशल विकास कार्यक्रम में सभी प्रकार की विकलांगता को शामिल किया जाना है और इसमें विकलांगता विशेष के लिए व्यवसाय का विशेष प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कृषि, बागवानी खेती आदि संबंधित कौशल को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के लिए 40 प्रतिशत अनिवार्य रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें स्व-रोजगार या सवेतन रोजगार भी शामिल किया जा सकता है।

2.1 सीबीएम और अंध जन मंडल (बीपीए) का विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी आजीविका कार्यक्रम

बीपीए के समावेशी आजीविका कार्यक्रम की प्रस्तुति में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के सामने अवरोध, अभिनव पहल और आंकड़ों को दर्शाया गया था। महात्मा गांधी नरेगा और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में उनकी भागीदारी 1.5 प्रतिशत से भी कम है। चार राज्यों - गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में क्रमशः सुरेंद्रनगर, कच्छ, अहमदाबाद, जोधपुर, कटक और राजनंद गांव के 340 गांवों के सर्वेक्षण के आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश विकलांग व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से ज्यादातर बेरोजगार हैं और वे कौशल विकास कार्यक्रम से वंचित हैं। इन 6 जिलों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण रणनीतियों में विकलांग व्यक्तियों की आजीविका पर सर्वेक्षण, जरूरत का मूल्यांकन, संसाधन आलेखन, कौशल विकास, प्रवीण प्रशिक्षकों की वृद्धि, नेटवर्किंग, नामांकीय समग्रता, रोजगार और स्व-रोजगार शामिल हैं। समावेशी स्व-सहायता समूहों की रचना के लिए विकलांग महिलाओं की अभिनव पहल के उदाहरण दिए गए थे। इन समूहों ने बैंक सेवाओं को उपलब्ध कराने, आपसी सहायता करने और गांवों में जागरूकता गतिविधियां शुरू की। ग्राम स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना एक चुनौती बना हुआ है।

2.2 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ता की पहल

- सफल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेडः इस कंपनी ने शारीरिक विकलांगता और नेत्रहीन 240 लोगों को लिफ्ट ऑपरेटर का कार्य सौंपकर उन्हें रोजगार प्रदान किया है। विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करना इस संगठन का आधिकारिक नियम और आदेश बन गया है। विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें अधिक वेतन मिल सके। कुछ अन्य निर्माण कंपनियां भी इस प्रकार के प्रयास कर रही हैं।
- शैल पेट्रोल पम्प ने अहमदाबाद में दो नए पेट्रोल पंप शुरू किए हैं। इनमें 14 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इस कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने की नीति को मुख्य रूप से अपनाया है।

2.3 कर्मचारियों का अनुभव

नेत्रहीन और राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपने सहकर्मियों के सहानुभूति भरे व्यवहार के बारे में बताया। वास्तव में सहकर्मियों का यह व्यवहार कर्मचारी को काम करने से रोकता था। लेकिन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस कर्मचारी ने उसे सौंपे गये काम को अच्छा करने की क्षमता सिद्ध करके दिखा दी। इतना ही नहीं, उसने जो विकलांग व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते थे, उनका भी सहयोग करना शुरू कर दिया। ■

महात्मा गांधी नरेगा को प्रभावी बनाने के प्रयास

सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आईपीपीई) और क्लस्टर फैसीलिटेशन टीम (सीएफटी) की रणनीति

यह लेख 'उन्नति' के राजस्थान कार्यक्रम कार्यालय की सीओओ **स्वप्नी शाह** द्वारा लिखा गया है। स्वप्नी शाह आईपीपीई ग्रामीण विकास मंत्रालय की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक हैं। वे राजस्थान राज्य में प्रभावी नियोजन प्रक्रिया के लिए सहयोग कर रही हैं। 'उन्नति', राजस्थान के जोधपुर जिले की पंचायत समिति बालेसर में सीएफटी परियोजना संचालित कर रही है।

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में, सामाजिक सुरक्षा और वेतन के पहलुओं के अलावा, वर्ष 2014 से सरकार लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों को तैयार करने और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस कारण से कार्यों के नियोजन की प्रक्रिया पर फिर से ध्यान केन्द्रित हुआ है। अधिनियम के परिशिष्ट-1 के पैरा-7 के अनुसार हर साल, पंचायत के हर स्तर पर व्यवस्थित, सहभागितापूर्ण नियोजन बनाना आवश्यक है। ऑपरेशनल मार्गदर्शिका के अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है कि यह नियोजन अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। इनके बावजूद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहचाना कि गुणवत्तायुक्त नियोजन के लिए संपूर्ण निगरानी के साथ सघन अभ्यास की जरूरत है। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 के महात्मा गांधी नरेगा श्रम बजट के लिए देश के 2,500 पिछड़े ब्लॉकों में सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आईपीपीई) करवाया गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार थेः

(i) समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं सही अर्थों में परिलक्षित हों;

(ii) वंचित वर्गों पर जोर देने के साथ कार्य की मांग का अधिक स्पष्ट अनुमान करना;

(iii) ऐसे काम पहचाने जाएं जिनसे उत्पादक संसाधनों का निर्माण हो और स्पष्ट रूप से गरीब एवं वंचित की आजीविका में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार हों;

(iv) ग्राम पंचायत गरीबी को कम करने और स्थानीय विकास करने के लिए एकीकृत योजना तैयार करने में सक्षम होनी चाहिए।

प्रशिक्षित ब्लॉक प्लानिंग टीम (बीपीटी) के सदस्यों ने हर गांव में दो से तीन दिन तक सहभागी ग्रामीण आंकलन (पीआरए) पद्धतियों का उपयोग कर नियोजन की प्रक्रिया करवाई। 2,50,000 ग्रामीण युवा एवं जमीनी स्तर के कर्मचारी 'सहभागी नियोजन' पर प्रशिक्षित हुए और करीब 1.45 करोड़ वंचित परिवारों तक पहुँच कर काम की मांग का आंकलन किया एवं व्यक्तिगत जमीन पर संभावित कार्यों की पहचान की। नतीजतन, आईपीपीई वाले ब्लॉकों में 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 की योजना में कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर अधिक जोर रहा। (स्रोतः अभिसरण योजना के लिए फ्रेमवर्क, आईपीपीई 2, वर्ष 2015-16, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

इस वर्ष सघन सहभागी नियोजन अभ्यास का उपयोग ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संकलित नियोजन बनाने के लिए किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बहु-आयामी गरीबी पर प्रभाव डाला जा सकें। इसका उद्देश्य 2,532 ब्लॉकों के प्रत्येक वंचित परिवार तक पहुँचना और उनकी प्राथमिकताओं व संसाधनों के आधार पर उनके लिए टिकाऊ आजीविका का विकास करना है। वंचित परिवारों की पहचान निर्धारित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विचार यह है कि हर राज्य की विकास योजना वहाँ के ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं पर ही आधारित हों। विचार है कि सवेतन रोजगार, आजीविका, आवास, कौशल एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित ग्रामीण विकास विभाग के पाँच मुख्य कार्यक्रमों - (i) महात्मा गांधी नरेगा (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (iii) इन्दिरा आवास योजना (iv) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना व (v) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(एनएसएपी) के बीच समन्वय बनें। एनआरएलएम के तहत बने स्वयं सहायता समूह एवं स्वैच्छिक संगठन नियोजन प्रक्रिया में सघन रूप से जुड़ सकेंगें। पिछड़े वर्गों की इस संस्थागत भागीदारी से पंचायतों की जवाबदेही और भागीदारी के स्तर में सुधार होगा। अतः आईपीपीई-2 के अपेक्षित महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हैं:

(1) महात्मा गांधी नरेगा श्रम बजट और कार्य की अनुमानित मांग के साथ संकलित ग्रामीण विकास योजना

(2) वंचित परिवारों की आजीविका का नियोजन, जिसे एनआरएलएम के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकें,

(3) वंचित परिवारों के युवा लोगों की पहचान करना, जो वेतनभोगी रोजगार के लिए कौशल प्राप्त करना चाहते हों, इन्हें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के माध्यम से आगे ले जाया जाएगा और

(4) सामाजिक सुरक्षा एवं इन्दिरा आवास योजना के लाभ योग्य लोगों की सूची तैयार करना, जो अभी किसी कारणवश वंचित है।

जुलाई 2015 के अंतिम सप्ताह के दौरान सभी राज्यों के महात्मा गांधी नरेगा और एनआरएलएम के कर्मचारियों और चयनित नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के पांच दिन के प्रशिक्षण के बाद सभी राज्यों और उनके जिले ने ब्लॉक स्तर के प्रभारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रत्येक ब्लॉक में चार सरकारी कर्मचारियों एवं सीएसओ प्रतिनिधियों से बनी ब्लॉक रिसोर्स टीम (बी.आर.टी.) का गठन किया गया था और उन्हें आईपीपीई-2 की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित किया गया। ब्लॉक संसाधन टीमों ने ग्राम पंचायत स्तर पर बनी ब्लॉक प्लानिंग टीमों को प्रशिक्षण दिया और फिर ब्लॉक प्लानिंग टीमों (बीपीटी) के हर गांव में तीन से चार दिन का सहभागी नियोजन अभ्यास किया। बी.पी.टी. में कार्य करने इच्छुक युवा सदस्यों, स्व-सहायता समूह के सदस्यों, स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों और स्थानीय स्तर के सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सभी राज्यों में सितंबर, 2015 के दौरान बी.आर.टी. और बी.पी.टी. का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया था और अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान आईपीपीई-2 की जानकारी देने के लिए ग्राम सभाएँ हुई थी। राजस्थान के 22 जिलों की 83 पंचायत समितियों में आईपीपीई-2 हो रही है। उन्नति, प्रदान और सृजन जैसे संगठनों ने राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से करने में सहयोग किया हैं।

महात्मा गांधी नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभावी समन्वय से ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी की समस्याओं पर प्रहार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नागरिक समाज की संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। इसका भी वही विचार है कि महात्मा गांधी नरेगा में बन रहे संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार हो, जिससे ग्रामीण आजीविका टिकाऊ बने। यह परियोजना कमजोर मानव विकास सूचकों और नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय उपस्थिति के सूचकों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित 250 पिछड़े ब्लॉक में शुरू की गई है। समन्वय के घटक इस प्रकार हैं:

(1) जागरूकता फैलाना और मांग सृजित करना, (2) ऐसे कामों का पहचान एवं नियोजन, जिनका आजीविका नियोजन के साथ समन्वय संभव हो (3) काम के स्थान पर कार्यान्वयन और मापन करना (4) समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को हस्तांतरित धनराशि के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को मजदूरी का अग्रिम भुगतान करना (5) पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का प्रावधान।

चयनित नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रबंधित कल्स्टर फैसीलिटेशन टीम (सीएफटी) के माध्यम से यह समन्वय क्रियान्वित होगा। इस रणनीति का प्रावधान हमारी 12वीं पंच वर्षीय योजना की सिफारिश के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा की संचालन मार्गदर्शिका-2013 में किया गया है। जमीनी स्तर पर क्षमतावर्धन, नियोजन एवं जवाबदेही तय करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सीएफटी की अहम भूमिका है, जिससे संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार हो और प्रदाता तंत्र भी गतिशील हो। विशेष रूप से इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करके ग्रामीण गरीबों को आजीविका विकास हेतु सहयोग प्रदान करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के काम की मांग को पूरा करना और पूरे हो चुके काम के लिए समय पर समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सहयोग प्रदान

करना है। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी) और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों की साझेदारी के तहत 25 दिसंबर, 2014 से राजस्थान के 15 जिलों के 15 ब्लॉक में परियोजनाएं शुरू की है। जोधपुर जिले की बालेसर ब्लॉक की जिम्मेदारी उन्नति - विकास शिक्षण संगठन द्वारा संभाली जा रही है।

समुदाय को अपनी मांगों के लिए प्रोत्साहन करने के साथ ही ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्थानीय कर्मचारियों और ब्लॉक स्तर प्रशासन तंत्र को काम की मांग की रसीद देने के लिए प्रेरित किया। उन्नति ने जनवरी 2015 में राज्य में पहली बार रोजगार दिवस आयोजित करवाया। बाद में, 20 ग्राम पंचायतों में निदर्शन प्रयोजनों के लिए श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और कार्य की मांग के लिए पंजीकरण कराने के लिए 46 रोजगार दिवस आयोजित किए गए। यह प्रक्रिया अब नियमित हो चुकी है और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा इस बारे में जारी किए गए आदेश के बाद ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में हर गुरुवार को इसका आयोजन किया जाता है। रोजगार दिवस के दिन पटवारी (ग्राम स्तरीय राजस्व कर्मचारी) की उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार द्वारा (तालुका स्तर के राजस्व विभाग के कर्मचारी) द्वारा आदेश दिया गया है, जिससे निजी जमीन पर कार्य करवाने के इच्छुक परिवारों के लिए आवेदन की फाइल तैयार की जा सके। ऐसा करने से निजी जमीन पर किए गए कार्यों की स्वीकृति और कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सकेगी।

इस वर्ष के सप्लीमेन्टरी प्लान में जोड़ने के लिए जून-जुलाई 2015 में सहभागितापूर्ण योजना प्रक्रिया से 688 नये व्यक्तिगत जमीन पर होने वाले कार्य पहचाने गए। निजी जमीन पर कार्यों में तेजी लाने के लिए 300 परिवारों की आवेदन प्रक्रिया में सहयोग किया गया है। स्थाई आजीविका विकास मॉडल के रूप में चारा मिश्रित बागवानी विकसित करने के लिए दो ग्राम पंचायतों के चार परिवारों को सहायता प्रदान की गई है - इस प्लॉट के विकास से परिवार को पशुओं के लिए चारा मिल जाएगा, ईंधन उपलब्ध हो जाएगा और फलों की बिक्री से आमदनी होगी। प्लॉट के संरक्षण के बाद जमीन की उर्वरता बढ़ने से प्लॉट की पैदावार में वृद्धि होगी। फलों के आसपास पूरे साल के दौरान मौसमी सब्जियों के पौधे भी लगाये जा सकते हैं।

डाकघर और सहकारी बेंकों के तर पर मजदूरी के भुगतान में काफी देरी होती है, इसलिए वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करने के लिए सीएफटी ने मौजूदा बैंक खातों की सूची तैयार करने में तथा बैंक खाते खोलने में मदद दी है। परियोजना कार्यान्वयन के पिछले नौ महीनों में स्व-सहायता समूहों के 16 ग्राम संगठनों के साथे बैठकें और महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों में जागरूकता फैलाने के लिए 376 बैठकें आयोजित की गई है। 14 ग्राम पंचायतों में 79 क्रमिक समूहों का गठन किया गया है। पूर्ण रोजगार में आजीविका परियोजना (परियोजना लाइफ - एमजीनरेगा) के तहत योग्यता वाले सभी परिवारों के कौशल वर्धन की जरूरतों के लिए विवरण एकत्रित किया गया है। रोजगार दिवस के लिए प्रक्रिया (2 फरवरी), बेयरफुट इंजीनियरों का चयन (13 मार्च), श्रमिक समूहों की गठन प्रक्रिया (30 मार्च), महिला मैट की चयन प्रक्रिया, रोजगार दिवस (17 अप्रैल), आईपीपीई और परिवार का सर्वेक्षण प्रक्रिया (5 मई और 26 मई), इन छह अवसरों पर सीएफटी ने ग्राम सेवकों और ग्रामीण रोजगार सहायकों के प्रशिक्षण में मदद की है।

क्लस्टर फैसीलिटेशन टीम (सीएफटी) परियोजना को लागू कर रहे सीएसओ अपने संबंधित जिलों में आईपीपीई-2 की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नियोजन और जवाबदेही में सहभागिता के लिए समुदाय को तैयार करना, अलगाव पीड़ित एवं वंचित समूहों का प्रक्रियाओं में समावेश तथा नवीन पद्धतियों एवं तकनीकों का निर्दशन, नागरिक समाज संगठनों की मजबूतियां रही है, जिसका फायदा इस परियोजना को मिल सकता है। यदि प्रशासन के सभी स्तरों पर, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और क्लस्टर फॅसीलिटेशन टीम (सीएफटी) को संसाधन संगठन के रूप में मान्यता दी जाए तब यह परियोजना अधिक सफल होगी। नागरिक समाज संगठनों और सीएफटी को कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार व्यवस्था का भाग नहीं मानते हुए, उनके द्वारा पहचानी गई कमियों को संयुक्त रूप से व्यवस्थित समाधान के विकास पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ■

गुजरात में 'पेसा' क्रियान्वयन सार्थक बनाने की प्रक्रिया: कुछेक अवलोकन

9 अगस्त 2015 को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आदिवासी दिवस समारोह के आयोजन के दौरान गुजरात में 'पेसा' क्रियान्वयन पर लेख लिखने के सुझाव के लिए मैं प्रोफेसर विद्युत जोशी का आभारी हूँ। पिछले 20 वर्षों में, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विचार-विमर्श के अवसरों में भाग लेने और पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता वर्धन के अनुभवों के आधार पर मैंने यह लेख लिखा है। 'अर्थपूर्ण बनाना' ('मेकिंग सेन्स') नामक शीर्षक अंडमान द्वीप पर रहने वाले जारवा आदिवासी समुदाय के बारे में विश्वजीत पंड्या और मजूमदार लेख में से लिया गया है। (EPW, नं. 44, 3 नवंबर 2012)। यह लेख 'उन्नति' के निदेशक **बिनोय आचार्य** द्वारा लिखा गया हैं।

पंचायत (अनुसूची क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की गतिविधियों, धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों और प्रचलित कानून के साथ तादात्मय रखकर (अनुच्छेद 4 (बी) के तहत) आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूची 7 और 6) में विकेन्द्रीकृत प्रशासन का अवसर प्रदान करता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा पिछले बीस वर्षों में बहुत कम प्रयास किया गया है। गुजरात में आदिवासी समुदाय की व्यापक आबादी कुल आबादी का 14.8 प्रतिशत और इसमें 17.8 प्रतिशत भील समुदाय होते हुए भी राज्य में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई यह पता जानने के लिए और नीति निर्धारकों तथा ऊपरी प्रशासकों का ध्यान आकर्षित करने का यहाँ प्रयास किया गया है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री, माननीय डॉ. सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2011 को 'पेसा' पर क्षेत्रीय कार्यशाला उदयपुर में आयोजित की गई थी। आदिवासी जिलों से संबंधित जिला विकास अधिकारी की ओर से पांच जिला पंचायत के प्रमुखों ने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया था। इस लेख के लेखक को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता निभाने के लिए गुजरात सरकारने मनोनीत किया था। इस विचार-विमर्श से स्थिति का व्यावहारिक चित्र सामने आया। 'पेसा' जिलों से आए सभी जिला प्रमुखों ने इस चर्चा में यह स्पष्ट किया था कि वे नहीं चाहते कि वे परम्परागत कानून के तहत प्रशासन संचालित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि अपने वर्तमान व्यवहार, भीलों के प्रचलित क़ानून पर अमल नहीं करते। कई सामाजिक-सांस्कृतिक आदिवासी व्यवहार प्रचलित होंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन से संबंधित नहीं होने के कारण वे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित हैं। इस राय की वास्तविक प्रस्तुति पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन राज्य में यही राय व्यापक है। 'पेसा' क्षेत्रों में सरपंचों के साथ हमारी बातचीत में, सरपंचों में प्रावधानों के बारे में कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता देखी गई थी। जब निर्वाचित सरपंचों को पता चला कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम परिषद या पंचायत के पास उचित स्तर पर जलाशयों का प्रबंधन और नियोजन, गौण खनिजों को पट्टे पर देना तथा इसकी नीलामी करने सहित उनका प्रबंधन, गौण वन उपज का स्वामित्व, वित्त पोषण पर नियंत्रण जैसे अधिकार हैं, तब उनमें सशक्तिकरण का भाव जगा। स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक संसाधनों, गौण वन उत्पादों और गौण खनिजों के संदर्भ में प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण का पक्षधर है। सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया में भील आदिवासी पारंपरिक प्रथाएं हस्तक्षेप नहीं करती।

हाल ही में, (30 जनवरी, 2015) 'पेसा' के बारे में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और गुजरात सरकार के पंचायती राज विभाग के बीच समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस लेखक को भाग लेने का मौका मिला था। इस समीक्षा बैठक में सचिवों और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के अलावा 'पेसा' से चयनित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अधिनियम की धारा 4 (घ) के कार्यान्वयन के मुद्दों (हरेक ग्राम सभा लोगों की परंपरा और रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े हल करने की उनकी प्रथागत शैली को बचाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए सक्षम होगी') राजस्थान सरकार की ओर से समुदाय परंपरा के साथ झगड़े हल करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में पेशकश की गई थी। राजस्थान सरकार के 'पेसा' नियम (2011, चैप्टर III, खंड 11-16) के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दो साल से कम कारावास की सजा के प्रावधान वाले गौण अपराधों और

स्थानीय स्तर के झगड़ों का निवारण ग्राम सभा द्वारा और ग्राम सभा के माध्यम से नियुक्त शांति समिति द्वारा समुदाय परंपरा और भारत के संविधान को ध्यान में रखकर किया जाएगा। गांव की शांति भंग करने वाली घटनाओं, अंधविश्वास और टोने से संबंधित घटनाओं, शिकायतों के निवारण आदि के संबंध में शांति समिति और ग्राम सभा को निर्णय लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत है। ग्राम सभा मामले के बारे में वास्तविक और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक निरीक्षक रखने के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध कर सकती है। जब पुलिस इन मामूली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे, उस समय अधिकारी को ग्राम सभा के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जहां तक हो सके मामूली विवादों को ग्राम सभा में शांति समिति द्वारा सुलझाया जाएगा। झगड़े निपटाने की आदिवासी समुदाय की परंपरा और संस्कृति के साथ यह प्रावधान मेल खाता है। गुजरात के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना दिलचस्प होगा। उनका मत यह है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आने वाले किसी भी अपराध या विवाद का समाधान परंपरा और संस्कृति के आधार पर नहीं करना चाहिए।

यही भील समुदाय गुजरात और राजस्थान में निवास करता है। एक राज्य में आदिवासी संस्कृति और परंपरा को पुनःस्थापित करके आधुनिक समय के संदर्भ में उसे कार्यरत करने के लिए काफी लचीलापन प्रदान किया जा रहा है, वहीं दूसरे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ आदिवासी समुदाय और नेताओं द्वारा उसका जोरदार विरोध किया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में ऐसे नागरिक सामाजिक समूह हैं, जो 'पेसा' लागू करने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के साथ ही आदिवासी समुदाय को सक्रिय करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर और स्थानीय संघर्ष या विवाद को हल कर सकें तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकें इसके लिए उन्हें अधिकार प्रदान करना है। गुजरात में आयोजित कई अवसरों पर विचार-विमर्श में यह सुनने में आया है कि आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति को भारतीय दंड संहिता के साथ सुसंगत तरीके से जोड़ने की दृष्टि से जांच करने और कानून के रूप में ढालने के बाद ही तकरार के मामलो को ग्राम सभा को सौंपना चाहिए। तत्कालीन अग्रणी सिविल सेवा अधिकारी, श्री बी.डी. शर्मा ने 'पेसा' को लोकप्रिय बनाने के अभियान में 'पेसा' एक आदिवासी समुदायों के रूप में क्रांतिकारी अधिनियम के प्रवर्तन की तलाश करने की कसम खाई। उन्होंने हिंदी 'डोल उठा हिमालय' एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी। संजय उपाध्याय (ईपीडब्ल्यू, सं. 41, 9-15 अक्टूबर, 2010) लिखते हैं कि संसद में और संसद के बाहर बहुत कम बहस से पीईएसए बनाया गया था। इतना ही नहीं, पीईएसए बनाने के बीस साल बाद भी आज इस अधिनियम के मुख्य विचार और फायदों के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह अधिनियम आदिवासी समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए स्व-प्रशासन का एक अवसर प्रदान करता है।

भारत में प्रशासनिक प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत प्रशासन को मजबूत करने के बजाय प्रशासनिक माध्यम से तथा साथ योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक ध्यान देती हैं। गुजरात में आदिवासी विकास की प्रशासनिक व्यवस्था को 'गुजरात पैटर्न' के रूप में जाना जाता है, जिसमें आदिवासी उप-योजना का बजट आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित किया जाता है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि गुजरात में प्रशासनिक तंत्र द्वारा महात्मां गांधी नरेगा को तालुका स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। ग्राम पंचायत केवल कार्यों की योजना बनाते हैं और उसे स्वीकृति देते हैं। शायद, सेवा प्रदान करने पर योजनाओं के कार्यान्वयन के वर्षों के दौरान प्रशासन द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रशासन पर अपर्याप्त जोर दिया गया है। आदिवासी समुदाय का सशक्तिकरण नहीं करने बिना वाली योजना के आधारित विकास के कारण आदिवासी नेताओं में भी इसी प्रकार की भावनाओं का जन्म हुआ है कि आदिवासी समुदाय मुख्यधारा में शामिल होने की परंपराओं और रीति-रिवाजों को मजबूत करने से नहीं, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी के माध्यम से ही आदिवासी समुदाय का विकास संभव है। उदाहरण के लिए, दक्षिण गुजरात के कोटवालिया आदिवासी समुदाय के लिए बांस उनके जीवन निर्वाह का मुख्य आधार है। गुजरात विद्यापीठ के श्री अरुण पटेल ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान जर्नल (2005) में लिखे लेख में बताया था कि कोटवालिया समुदाय बांस से बाईस (22) उत्पाद बनाता है। हालांकि, बांस प्राप्त करने के लिए उन्हें वन विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है। बांस के जंगल पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर सामुदायिक अधिकारों का विस्तार करने के लिए गुजरात में कोई खास आंदोलन नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक गतिविधियों के लिए समुदाय के अधिकारों और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कई आंदोलनों हो चुके हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मेंढांलेखा गांव ने पारंपरिक कानून-आधारित स्व-प्रबंधन की उत्कृष्टता हासिल की है। मेंढांलेखा की स्वशासन की कहानी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है।

मेंढांलेखा में गांव के संबंध में सभी निर्णय ग्राम सभा लेती है। कोई भी काम करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, अनुसंधान संगठनों, सरकार या किसी भी बाहरी एजेंसी को ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक है। इस गांव में वन सुरक्षा समिति - वीएसएस (पर्यावरण संरक्षण समिति) का गठन किया गया है। यह समिति ग्राम सभा के सदस्यों और वन विभाग के अधिकारियों से बनी है। यह वन प्रबंधन की ग्राम सभा से प्रेरित संगठनात्मक कामकाज वाली समिति होने से इसके नियम ग्राम सभा और वीएसएस द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। झगड़ों का निवारण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। बाजार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में सफलता प्राप्त की है। ग्राम सभा शुभ अवसर, समारोह आदि के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शराब उत्पादन पर नियंत्रण करती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों को नामंजूर करने का अधिकार है। किशोरावस्था शिक्षण के लिए मेंढांलेखा में पारंपरिक ज्ञान के एक स्रोत के रूप में घोटुल की संस्था को पुनर्जीवित किया है।

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मेंढांलेखा में स्व-शासन की जड़ें 73वें संविधान और 1996 में 'पेसा' लागू होने से भी पुरानी है। मेंढांलेखा ने कई गांवों और स्थानीय नेताओं को प्रेरणा प्रदान की है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में साईगता गांव और केरल के कोझिकोड जिले के ओलावन्ना गांव ने स्वशासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण पेश किया है। ओलावन्ना जल संग्रह एवं प्रबंधन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की है। थाईलैंड, फिलीपींस, सूडान, ईरान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के जल प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने ओलावन्ना का दौरा किया है। मेंढांलेखा ने स्व-शासन का अपना लोकप्रिय नारा दिया - "दिल्ली और मुंबई में हमारी सरकार है, हमारे गांव में हम स्वयं सरकार हैं"। ऐसा भी नहीं कि स्व-शासन स्थापित करने के सभी निर्णय आसानी से ले लिये जाते हैं। गांव और सरकार के बीच गंभीर संघर्ष होने के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। स्व-शासन स्थापित करने के लिए मेंढांलेखा एक लंबी यात्रा कर चुका है। वर्तमान में गांव में ग्राम सभा वन उत्पादों की दर तय करने में लगी है और सार्वजनिक नीलामी के साथ जुड़ी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीलामी की दर वन विभाग द्वारा निर्धारित दर से काफी अधिक थी। मेंढांलेखा ग्राम सभा का पैन कार्ड और वैट पंजीकरण है। मेंढांलेखा एक दूरस्थ गांव है, जहां मारिया गोंडा समुदाय रहता है। यह समुदाय आदिवासी प्रथागत कानून के अनुसार अपने गांव का प्रशासन संभालता है, साथ ही इसने प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को अपनाया है। इसे एक अलग, एकाकी उदाहरण माना जा सकता है। सुखद परिणामों का श्रेय वृक्षमित्र (मोहन हिराबाई हिरालाल), कल्पवृक्ष जैसे बाहरी संगठनों और युवा आदिवासी नेता देवजी तोफा को दिया जा सकता है। हालांकि, मेंढांलेखा उदाहरण की किसी अन्य क्षेत्र में हुबहू नकल नहीं की गई, लेकिन यह उदाहरण ऐसा स्पष्ट संकेत देता है कि आदिवासी समुदाय के पारंपरिक प्रथागत कानून के माध्यम से इस समुदाय को संचालित किया जा सकता है और समुदाय को मुख्यधारा के समाज से जोड़ा जा सकता है।

इस लेखक को 2015 की शुरूआत में राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटडा तहसील में आयोजित 'आदिवासी सम्मेलन' में उपस्थित रहने का अवसर मिला था। आदिवासी ग्रामीण संगठनों (उदयपुर स्थित गैर सरकारी संगठन, आस्था और साथी संगठनों ने आदिवासी लोक संगठन को बढ़ावा दिया है) ने सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सूचना मिली थी कि उदयपुर और डूंगरपुर जिले के लगभग 150 गांवों ने 'पेसा' के तहत स्वशासन घोषित किया था। स्व-शासन का आंकलन करते हुए उन्होंने बताया था कि (1) शराबबंदी लागू करने और मादक पदार्थ बिक्री विनियमित करने का अधिकार (2) ग्राम सभा की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं को अनुमति देना (3) जिन क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति हुई है, इसके के अलावा (1) वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण का अधिकार (2) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व (3) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा के साथ परामर्श करना - इस प्रकार के कार्यों में कुछ हद तक प्रगति हुई है। जबकि, (1) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखकर परंपरागत तरीके से झगड़ों और विवादों का समाधान, (2) गौण खनिजों की नीलामी (3) और स्थानीय बाजार नियंत्रण - इन क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हुई। 'पेसा' की सफलता के स्व-मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया के संबंध में

आदिवासी नेताओं द्वारा दी गई प्रस्तुति में 'पेसा' उपलब्धि के संदर्भ में काफी विचार प्रक्रिया को जन्म दिया है। लेखक गुजरात में कई वर्षों से काम कर रहे है और गुजरात सरकार की सहायता से पीईएसए के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, 'पेसा' के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर चुके हैं और कई सरकारी और गैर-सरकारी विचार-विमर्श किये हैं और भी उनमें भाग लिया है। यहां यह जानने का प्रयास किया गया है कि गुजरात में 'पेसा' कार्यान्वयन प्रभावी क्यों नहीं रहा। राजस्थान में लंबे समय तक विचार-विमर्श का दौर चलने के बाद 2011 में 'पेसा' नियम लागू किए गए थे। गुजरात 'पेसा' गाइड है, लेकिन अभी तक कोई भी नियम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि, गुजरात के 'पेसा' अधिनियम, 1996 का अध्ययन करके कई अधिनियमों को उसके अनुरूप सुसंगत किया गया है। गुजरात मनी लेन्डर्स एक्ट, 2011 में अनुसूचित क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए तथा ब्याज दर के संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा मंजूरी लेने का प्रावधान किया गया है। गुजरात खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अगस्त 2010 में यह निर्देश दिया गया है कि 'पेसा' क्षेत्र में गौण खनिज के खनन के पट्टे के लिए ग्राम सभा का स्पष्ट सहमति लेना आवश्यक है - अध्याय 2, 4 (6)। 'पेसा' पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 'पेसा' की तरफ इन अधिनियमों की सुसंगतता के बारे में कोई समझ नहीं होने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन पर भी उदासीनता व्याप्त है।

'पेसा' के साथ सुसंगतता के संबंध में गुजरात लघु वन उपज व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1979 और गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसा कि सब जानते हैं, आदिवासी लोग वन उत्पादों पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं और इन्हें कुछ लघु वन उत्पादों के कामकाज प्रबंधन सौंपने से आदिवासी स्वशासन को मजबूत किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लघु वन उत्पादों को प्राप्त करने से लेकर उनके संग्रह मूल्य वर्धन और बिक्री का पूर्ण नियंत्रण वन निगम द्वारा किया जाता है और प्रबंधन सौंपने के बारे में कोई आधिकारिक विचार नहीं किया गया है। हलपति और कोटवालिया जैसे समुदायों के पास जीवन निर्वाह उतना ही उत्पाद होता है। इसलिए, गौण वन उत्पादों का प्रबंधन और कामकाज, सामुदायिक अधिकारों वाली जमीन पर बांस उगाने का काम आदिवासी समुदायों को सौंप दिया जाए तो उन्हें काफी लाभ हो सकता है। वन निगम गौण वन उत्पादों की बिक्री के मुनाफे की निश्चित राशि ग्राम पंचायतों को देता है। जबकि, पंचायती राज संस्थाएं इस प्रकार के मुनाफे मिलने से खुद को अनजान बताती हैं। पारंपरिक खपत के लिए शराब के उत्पादन को विनियमित और नियंत्रित करने के संदर्भ में गुजरात सरकार ने बुजुर्ग आदिवासी लोगों के लिए परमिट जारी किए हैं। इन सभी परमिट की समय सीमा 31 मार्च 2015 को समाप्त हो गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात के आदिवासी भगत जैसी जीवन शैली को अपनाकर सभ्यता के पथ का अनुसरण कर रहे हैं।

यहां मुख्य सवाल यह है कि गुजरात का आदिवासी समुदाय पूर्णतया/आंशिक रूप से मुख्यधारा में शामिल हुआ है या नहीं और उसे उसके स्थानीय प्रशासन में उनके प्रथागत कानून लागू करना आवश्यक है या नहीं। यह समझ कितनी गहरी और व्यापक है? क्या इसे लोगों पर लादी गई 'सरकारी स्पष्टता' है या गुजरात आदिवासी समुदायों की आकांक्षा आदिवासी परंपराओं, संस्कृति और रीति-रिवाजों से मुक्त होने की है? ऐसी राय है कि आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के साथ-साथ 'आदिम जनजाति' - आदिम आदिवासी समूह के लिए विशेष कार्यक्रम भी आदिवासी समुदायों को अधिकार सौंपने बहुत कम प्रभावी रहे है। अंडमान द्वीप समूह के 'जारवा' आदिवासी समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली को बचाए रखने और समुदाय को नष्टप्राय होने की प्रक्रिया से रोकने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखने की जरूरत (पंड्या और मजूमदार, 2012) के लिए 'जारवा' समुदाय के संरक्षण की दलील का उदाहरण देते समय महामारी फैलने के दौरान चिकित्सा उपचार प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देना भी आवश्यक है। आदिवासी या स्वदेशी संस्कृति परंपरा का संरक्षण और आधुनिक जीवन शैली अपनाना दो विरोधाभासी बातें नहीं हैं। इन दोनों स्थितियों को एक साथ जीवित रखा जा सकता है। 'पेसा' के प्रावधान स्व-शासन में आदिवासी संस्कृति व प्रचलित कानून की रक्षा और लोकतंत्रीकरण देश के विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों की उपलब्धता बनाने की दिशा में एक कदम है। संस्कृतिकरण को दिया जाने वाला अत्यधिक महत्व और परंपरागत संस्कृति व प्रथागत कानून के संरक्षण के बिना आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया के कारण विकास के पीछे दौड़ने के उन्माद में आदिवासी समुदाय अपनी पहले वाली पहचान खो देगा। ■

साबरकांठा जिले के पोशिना सीएचसी में विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर

- दीपा सोनपाल, प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर, उन्नति

पोशीना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 16 जुलाई 2015 को विकलांगता के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से विकलांगता के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड और 'माँ' (एएमएए - मुख्य मंत्री अमृतम योजना) कार्ड देने की व्यवस्था की गई थी। शिविर के में 765 व्यक्ति सहभागी रहें, इनमें 237 विकलांग व्यक्ति शामिल थे। उनमें से 121 विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र जारी किये गये और 21 व्यक्तियों को 22 जुलाई 2015 को हिम्मतनगर में आयोजित होने वाले ऑडियोमीट्री जांच के लिए आने की सिफारिश की गई थी। सुनने की समस्या वाले बच्चों सहित 21 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति हिम्मतनगर जाने के लिए सहमत हुए थे, जिन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए योग्य नहीं पाए गए शेष 95 लोगों को सलाह-सुझाव दिए गए थे। सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए 103 पहचान पत्र-सह-बस पास के फॉर्म शिविर के दौरान दिए गए थे। इसके अलावा, 165 व्यक्तियों को आधार कार्ड और 32 व्यक्तियों को 'मा' कार्ड जारी किए गए थे।

शिविर में नेत्रहीन व्यक्तियों को भी आधार कार्ड दिए गए थे। कई बार कम्प्यूटर ऑपरेटर यह कहते हुए नेत्रहीन व्यक्तियों को कार्ड जारी करने से मना कर देते हैं कि इनकी आंखों की स्कैनिंग नहीं हो सकती। बिना हाथ वाले व्यक्तियों और ठीक हो गए कोढ़ी व्यक्तियों को भी अक्सर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यवेक्षक की अनुमति से नियमित विकल्प उपलब्ध नहीं हों तो जबड़े को ध्यान में लेने के विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन, 500 रुपये का जुर्माना अदा करने के डर से ऑपरेटर ऐसा करने के इच्छुक नहीं रहते। उस समय इस शिविर में जिला विकास अधिकारी एम. नागार्जुन, (आईएएस) ने तहसीलदार (मामलतदार) और पर्यवेक्षक से संपर्क करके उन्हें आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देश दिये।

शिविर के एक महीने पहले साबरकांठा कलेक्टर श्री पी. स्वरूप और जिला विकास अधिकारी को बताया गया कि सिविल अस्पताल द्वारा जिला स्तर पर जारी किए जाने वाले चिकित्सा परीक्षा प्रमाण पत्र के अभाव के कारण कई विकलांग व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। सम्बन्धित तालुकों (तहसीलों) और पंचायतों से लगभग 1500 वंचित व्यक्तियों का डेटाबेस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों अधिकारियों ने काफी सहयोग दिया और कलेक्टर ने नए बने जिले - पोशीना के लिए तुरंत शिविरों के आयोजन की घोषणा की। कई अन्तर्विभागीय बैठकों का सहनिर्देशन किया गया और शिविरों का आयोजन करने की जिम्मेदारी खंड स्वास्थ्य अधिकारी (डॉ. हितेन्द्र सिंह गढ़वी) और उनकी टीम को सौंपी गई थी। शिविर के दिन चार विशेषज्ञ (हड्डीरोग विशेषज्ञ, नेत्ररोग विशेषज्ञ, ईएनटी और मनोचिकित्सक) उपस्थित थे। तहसीलदार ने आधार कार्ड प्रदान करने के लिए चार किट कार्ड जारी किए थे। विकलांग व्यक्तियों का शिविर तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए उन्हें अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के लिए कहा गया था। पोशीना में चार पीएचसी हैं। विकलांग व्यक्तियों को सीएचसी में पहुंचाने के लिए ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर (बीएचओ) द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूर रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी वाहनों की व्यवस्था की गई थी। शिविर में कलेक्टर और डीडीओ साबरकांठा, डीएफओ

डॉ. के रमेश, प्रांत अधिकारी, श्री विशाल सक्सेना, तहसीलदार श्री मोदी और श्री गोटिया, टीडीओ श्री पटेल भी मौजूद थे। तालुका का पूरा

स्वास्थ्य विभाग - टीएचओ, पीएचसी डॉक्टर, एफएचडब्ल्यू, एमपीएचडब्ल्यू और तालुका के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों ने भरपूर सहयोग प्रदान किया था। विकलांग व्यक्ति और उनके परिवार के लोग इतने वर्षों में पहली बार पहला चरण पूरा होने की संतुष्टि के साथ घर लौटे थे। हालांकि, विकलांग व्यक्ति अपने लाभ और हक प्राप्त कर सकें, उसके लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ■

श्रद्धांजलि

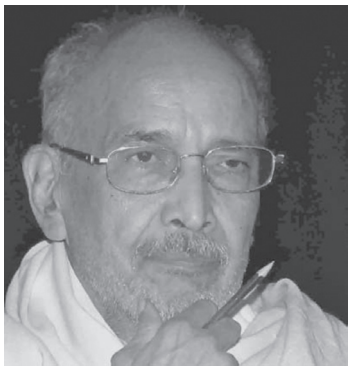

डॉ. बी.डी. शर्मा
(1931-2015)

आदिवासी और दलितों के लिए न्याय का एक युग 6 दिसंबर, 2015 के दिन डॉ. बी.डी. शर्मा के अवसान के साथ समाप्त हो गया। वे 86 वर्ष के थे। 1931 में जन्मे गणित में पीएचडी, शर्मा 1956 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गए थे। डॉ. बी.डी. शर्मा हाल ही में खबरों में तब आए जब माओवादियों द्वारा अपहरण कर लिये गये श्री एलेक्स पॉल मेनन (छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तत्कालीन कलेक्टर) को मुक्त कराने के लिए संवाद मंच के गठन में अपनी भूमिका निभाई। फिर भी उनका जीवन आदिवासियों, दलितों, किसानों और श्रम समुदायों के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों और कल्याण के लिए काम करते हुए किए गए प्रयासों के व्यापक स्पेक्ट्रम से परिभाषित किया गया है। उनका कैरियर मध्य प्रदेश के बस्तर के जिला कलेक्टर (1968) के पद से शुरू करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त (1986-1991) तक रहा। संप्रग सरकार के शासनकाल में वे विभिन्न राष्ट्रीय योजना आयोग की समितियों के साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का हिस्सा थे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप में उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के उल्लेख में, उन्होंने न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के सशक्तिकरण पर लाभदायक रिपोर्टें लिखी, बल्कि भूरिया कमेटी की रिपोर्ट (2011), पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावी, समावेशी और आत्मनिर्भर ग्राम सभाओं की वकालत के साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल पंचाट इन लोगों के संकट को हल करने के लिए उनके विचारों का सबूत है। वर्ष 2014 के अंत तक, उन्होंने आदिवासियों के साथ विभिन्न पहलों में सरकार को सहयोग दिया और सलाह दी, फिर भी योजनाओं को लागू करने में नाकाम रहने के लिए और विभिन्न अभिशासन कार्यक्रमों विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वयन नहीं करने के लिए अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लिखा और अपनी प्रकाशन इकाई, सहयोग कुटीर प्रकाशन के माध्यम से अपने काम को प्रकाशित भी किया। वे हर किसी के लिए सुलभ रहते थे, मितव्ययिता, न्यूनतम से जीवन यापन करते थे और उन्होंने अपने विचारों का पालन करते हुए उनके प्रचार के लिए एक अनाड़ी के रूप में देश भर में यात्रा की।

वे लगभग एक वर्ष से बीमार थे और उनकी देखभाल ग्वालियर में उनके आवास पर उनके बेटे और बहू कर रहे थे। डॉ. बी.डी. शर्मा ने पिछड़े समुदायों की समग्रता के लिए प्रयासों, विचारों, काम की अपनी विरासत छोड़ी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ■

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन

इस कानून में महत्वपूर्ण संशोधन पर यह लेख उन्नति के प्रोग्राम कॉ-ऑर्डिनेटर, **किरीट परमार** द्वारा दलित अधिकार पत्रिकाओं और अन्य स्रोतों से सूचनाएं संकलित करके तैयार किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार हर प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संवैधानिक परिवर्तन को कानून के रूप में सुदृढ़ करने के लिए और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 से लागू है। सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 1989 में 'अत्याचार निवारण' कानून को लागू किया गया। इस कानून के नियम 1995 में बनाये गये थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों की रोकथाम के लिए अपराधी को सज़ा, पीड़ित को राहत और मुआवजा की व्यवस्था के अलावा कानून के सतर्कता और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।

देश में जाति आधारित छुआछूत, भेदभाव, शोषण और अत्याचार निवारण के लिए यह कानूनी व्यवस्था बहुत उपयोगी साबित हुई है। अत्याचार कानून के नाम से प्रचलित यह कानून अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव के उन्मूलन तथा उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत कानूनी हथियार है। अभी भी कानून के तहत दंडित करने की गति धीमी, और संख्या कम है।

इस कानून के लागू होने के बाद अनुभवों के आधार पर समय-समय पर कानून में हुए संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:

(1) सितंबर-1989 में कानून बना।
(2) मार्च-1995 में नियम जारी किए गए।
(3) नवंबर-2013 में उप-खंड स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों की व्यवस्था और हर स्तर पर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान।
(4) मार्च-2014 में इस कानून में अध्यादेश से एक नया अध्याय और परिशिष्ट जोड़ा गया था, जिसमें भेदभाव और हिंसा के नए कृत्यों को शामिल किया गया।
(5) अगस्त-2015 में संशोधन को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया।

इस कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लंबे समय से प्रयास होते रहे हैं। सामाजिक संगठनों तथा दलित व आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्मियों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। मार्च 2014 में अध्यादेश के द्वारा कानून में सुधार लागू किए गए, लेकिन इस बीच केन्द्र सरकार के बदलने और संसद द्वारा छह महीने में अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलने कारण रद्द कर दिया गया। इन संशोधनों को अगस्त 2015 में नए सिरे से संसद में पेश करके मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन में कई नए कृत्यों को कानून के तहत अपराध माना गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही या उपेक्षा को इस कानून के तहत आपराधिक कृत्य माना गया है। इस कानून के तहत अपराधों के शीघ्र निपटारे के लिए जिला स्तर पर खास विशेष अदालतों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसमें पीड़ितों और गवाहों के संरक्षण और अधिकारों के प्रावधान भी किए गए हैं।

कानून के तहत संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

इस कानून के तहत नए संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों को अपराध माना गया है:

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिक को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में या खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर करना।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाली भूमि को 'गलत तरीके' से हड़पना, नए संशोधन में 'गलत तरीके' को स्पष्ट किया गया है।

(3) महिलाओं पर अत्याचार के बारे में नए प्रावधान किए गए हैं।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनकी सहमति के बिना, जानबूझ कर छूना, यौन विचारोत्तेजक शब्द, कृत्य या स्वभाव, देवदासी बनाना या ऐसी किसी परंपरा में धकेलना।

(4) अन्य अपराध

- सम्मानजनक व श्रद्धेय प्रतिमा या मूर्तियों को जूतों या चप्पलों की माला पहनाना (वर्षों से डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा को इस प्रकार से अपमानित करने की कई घटनाएं होती रही हैं)।
- मानव या जानवर के शव को ले जाने या निपटाने के लिए मजबूर करना, गंदगी/मल को साफ करने के लिए मजबूर करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को जातिसूचक अपमान जनक रूप से बुलाना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ नफरत की भावना फैलाना और सम्मान जनक मृत व्यक्ति का अपमान करना।
- सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या ऐसा करने की धमकी देना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सार्वजनिक सामूहिक संसाधनों का उपयोग करने से रोकना।
- आम जनता के लिए खुले धर्म स्थलों और पूजा के स्थानों में प्रवेश से रोकना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य संगठनों में प्रवेश से रोकना।

इस संशोधन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अपराध के आरोपी की होगी कि अपराध उसे पीड़ित की जाति के बारे में पता नहीं था, अन्यथा अदालत यह मान लेगी कि आरोपी को पीड़ित की जाति के बारे में पता था।

(5) इस कानून के तहत लापरवाही बरतने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी को छह महीने से लेकर 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसमें पुलिस कार्मिकों के निम्नलिखित कर्तव्य शामिल किये गये हैं:

1) शिकायत या एफ.आई.आर. नोट करना।

2) शिकायती द्वारा बताई जानकारी के आधार पर लिखे विवरण पर उसके हस्ताक्षर कराने से पहले पूरा विवरण पढ़कर सुनाना और उसे उस विवरण की प्रतिलिपि देना।

(6) वर्तमान कानून में जिला स्तर के सत्र न्यायालय को विशेष अदालत मानकर, एक विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान था, नए संशोधन में इस कानून के तहत जिला स्तर पर केसों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष खास न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत हर केस का निपटारा अधिकतम दो महीने में करने के लिए अदालतों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था का प्रावधान है। जिला स्तर की इन अदालतों के लिए सरकारी वकील और विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जाएगी। इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय में अधिकतम तीन महीने में उसका निपटारा होना चाहिए।

(7) नए संशोधन में पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के सम्बन्ध में पूरा अध्याय जोड़ा गया है। उनकी और उनके आश्रितों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उनके अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को विशेष योजना बनानी होगी। अदालतों को गवाहों के नाम गुप्त रखनें होंगे। शिकायत करने वालों और गवाहों को परेशान करने की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की शिकायत को मुख्य शिकायत से अलग माना जाएगा और उसका हल भी दो महीने में किया जाएगा।

लोकसभा द्वारा पारित इन संशोधनों को राज्य सभा द्वारा पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये संशोधन कानून का रूप ले लेंगे। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य जातिवाद के अंतर्गत होने वाले भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ अनुसूचित जाति - जनजाति को संरक्षण और न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय में कानूनी और अदालती न्याय की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं।■

स्वच्छ भारतः किसका अभियान?

भारत को स्वच्छ करने के लिए यह जरूरी है कि हरेक व्यक्ति हर बार शौचालय का इस्तेमाल करे। यह लेख ब्रिटेन स्थित ससेक्स विश्वविद्यालय के विकास संस्थान के रिसर्च एसोसिएट **रॉबर्ट चेम्बर्स** ने लिखा था और यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 9 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित हुआ था।

ग्रामीण स्वच्छता वास्तविक रूप से किस प्रकार से शुरू की जा सकती है? शौचालयों का अभाव या दयनीय हालत वाले शौचालय, इस्तेमाल नहीं किए जा रहे शौचालय, बेकार सामान को भरने के लिए कमरे के रूप में इस्तेमाल या परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाय, या किसी खास समय उसका उपयोग नहीं किया जाए, खुले में शौच जाना पसंद करने वाले और उसे स्वस्थ मानने वाले लोग... आदि बातों का कोई अंत नहीं है। सरकारी प्राथमिकता, सब्सिडी में वृद्धि और उच्च अधिकारियों के नियमित प्रयासों के बावजूद यह समस्या वहीं की वहीं है। स्वास्थ्य के बारे में पारंपरिक संदेशों से कोई परिणाम नहीं निकला। स्वच्छ भारत अभियान को एक साल बीत चुका है और 2019 के लक्ष्य वर्ष में चार साल बचे हैं। अब क्या इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल अलग तरह की कोशिश करनी पड़ेगी?

लोग शौचालय का उपयोग करने के बजाय खुले में शौच जाना क्यों पसंद करते हैं? या फिर जिनके पास शौचालय है, वे भी उसका कभी-कभी ही उपयोग क्यों करते हैं? हाल के शोध से सबसे महत्वपूर्ण दो कारणों का पता चला है: पवित्रता और प्रदूषण के कारण और गड्ढे या सेप्टिक टैंक नहीं भरे इसलिए, फिर उसे खाली कराना पड़ेगा। इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया है। खुले स्थान में शौच जाना बंद कराने के लिए उपरोक्त परिस्थिति की ओर ध्यान देना और परिवर्तन लाना आवश्यक है। शौचालय के उपयोग और गड्ढों या टैंक खाली करने के विषय को लोगों को प्रदूषण के रूप में नहीं, बल्कि स्वच्छता के कदम के रूप में देखना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में एक गांव की हाल की यात्रा के दौरान मैंने पाया कि कचरे को खाद में बदलने वाले स्वास्थ्यप्रद और अपेक्षाकृत सस्ते जुड़वां-पिट (दो सोख्ता गड्ढें) शौचालय के स्थान पर अधिक महंगे सेप्टिक टैंक रखे गये थे। इनमें से कुछ टैंक अस्वास्थ्यकर और स्थिर जल में जम जाते थे। हमें कुछ जुड़वां गड्ढे वाले शौचालय बताए गए। उनमें से कुछ की खाद निकालकर मैंने जांच की जो दुर्गंध रहित और पाउडर के रूप में थी और हाँ, वह उपयोगी भी थी।

फिर हम एक और गांव में गए। गांव में प्रवेश करते ही हमने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा लड़का शौच कर रहा था। यह चित्र मेरे मन में अंकित हो गया। इस गांव में 150 घर थे और लगभग 300 मोबाइल फोन थे। गांव के सभी घर पक्के थे। गांव में कुछ शौचालय थे और वे सब सेप्टिक टैंक वाले थे। ग्राम वासियों ने अपने स्वयं के खर्च से ये शौचालय बनवाए थे। गांव में एक भी शौचालय ऐसा नहीं था, जिसका इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्य हमेशा करते हों। सरकार ने 35 शौचालयों का निर्माण किया है, लेकिन वे सब खराब हालत में हैं और उनका निर्माण कार्य भी अधूरा है। इन शौचालयों को तितर-बितर कर दिया गया है या उनका इस्तेमाल स्टोर के रूप में किया जा रहा है।

इस दौरे और नवीनतम अनुसंधान से क्या सीख सकते हैं? सामुदायिक आदतों में स्वच्छ भारत के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तन लाना ही एक मात्र रास्ता है। जिस प्रकार मोबाइल फोन व्यक्ति के लिए आवश्यक है और जिस प्रकार हर बार उसका उपयोग करना चाहता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय होना जरूरी है और हर बार उसका इस्तेमाल करने की इच्छा भी होनी जरूरी है। हरेक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए और अन्य लोग वैसा करें इसकी उम्मीद करनी चाहिए। उसी प्रकार खुले में शौच जाने वाले व्यक्ति का विरोध करना चाहिए।

आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला सुधार कैसे किया जा सकता है? और वह भी इतने बड़े पैमाने पर? अतः प्रेरित और प्रतिबद्ध नेतृत्व इसकी पूर्व शर्त है। इसके साथ ही सभी नागरिकों और संगठनों को साथ लेकर अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं रहे सभी लोगों में समान प्रस्तुति, उदाहरण और जानकारी की पुष्टि हो।

मैं दो मुख्य आवश्यकताओं या सुझावों पर जोर देता हूं। सबसे पहले, गड्ढें खाली करने पर ध्यान केंद्रित करना। बांग्लादेश की तरह सभी प्रकार के गड्ढों को खाली करने के लिए उद्यमशीलता और बाजार को बढ़ावा देने की जरूरत है। सेप्टिक टैंक की तुलना में जुड़वां पिट्स अधिक फायदेमंद है और इस जानकारी का प्रसार करने में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है। राजनेता, धार्मिक नेताओं, अधिकारियों और कई अन्य नेताओं को परिपक्व व सुरक्षित गड्ढों में से खाद निकालकर सार्वजनिक समारोहों में प्रदर्शित करके इसे दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जा सकता है व ऐसा करने से लोगों को गड्ढों को खाली करने का डर नहीं होगा।

दूसरा सुझाव या आवश्यकता कुछ निर्दयी हैः बैठक, पोस्टर और सभी मीडिया में - खुले में शौच की वजह से बाधित विकास सम्बन्धी मुद्दे पेश करने चाहिए। आधे से अधिक कुपोषण के लिए खुले में शौच जाना जिम्मेदार है। जनसंख्या घनत्व और खुले में शौच जाना इन दो कारकों के कारण कुंठित विकास दो-तिहाई ही हो पा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य ग्रामीण भारत में अधिक लागू होता है। कुंठित विकास, अर्थात् खामीयुक्त संज्ञानात्मक रोग, कम शिक्षा, स्कूल में खराब प्रदर्शन, दोषपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बीमारी तुरंत लग जाना और मोटापे में वृद्धि होना। इस प्रकार, खुले में शौच जाने वाले लोगों को दोष देना चाहिए। ■

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान
फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्कः दीपा सोनपाल, ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. के. गुप्ता **ले-आउटः** रमेश पटेल - उन्नति
मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।